प्रथम अपील संख्या 207 / 2017

.....

[श्री चंद्र प्रकाश अस्थाना, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, रांची द्वारा 2014 के मूल वाद (एमटीएस) संख्या 522 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 12.06.2017 के खिलाफ]

.....

तापस कुमार मल्लिक **अपीलार्थी**

बनाम

नंदिनी मल्लिक **... ... प्रतिवादी**

.....

उपस्थित

माननीय श्री न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय

माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक रोशन

.....

अपीलकर्ता के लिए: श्री आर.एस.मजूमदार, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री इंद्रजीत सिन्हा, एडवोकेट

श्री अर्पण मिश्रा, एडवोकेट

प्रतिवादी के लिए: श्री पांडे नीरज राय, अधिवक्ता

श्री रोहित रंजन सिन्हा, अधिवक्ता

.....

सी.ए.वी. 09/08/2023 **घोषित दिनांक 05/03/2024**

प्रति रोंगून मुखोपाध्याय, जे।

अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.एस. मजूमदार और प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री पांडे नीरज राय को सुना ।

2. यह अपील श्री चंद्र प्रकाश अस्थाना, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, रांची द्वारा 2014 के मूल वाद (एमटीएस) संख्या 522 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 12.06.2017 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी के साथ अपने विवाह के विघटन के लिए मुकदमा दायर किया । वो मुकदमा खारिज कर दिया गया

3. सुविधा के लिए दोनों पक्षों को इस निर्णय में नीचे के विद्वान न्यायालय के समक्ष उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया गया है।

4. इस अपील के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता (यहां अपीलकर्ता) ने सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत 2019 के आई.ए संख्या 9370 के अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी थी, जिसका प्रतिवादी (यहां प्रतिवादी) ने जवाब दाखिल करके विरोध किया था। इस न्यायालय ने दिनांक 06.04.2022 के आदेश के तहत उपरोक्त वादकालीन आवेदन की अनुमति दी थी और आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:

> *"**27**. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, हम 2019 के आई.ए नंबर 9370 को इस हद तक अनुमति देने के इच्छुक हैं कि:*
>
> *(ए) आवेदन में किए गए कथन कि 12 जून 2019 की मध्यस्थता रिपोर्ट के संदर्भ में श्रीमती नंदिनी मलिक और अनुश्री झा ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है;*
>
> *(बी) 2017 के रखरखाव केस संख्या 150 में, एक तरफ नंदिनी मलिक, तन्वी मलिक, तमन्ना मलिक और दूसरी तरफ तापस मलिक के बीच एक समझौते पर 27 मार्च 2018 को सिविल कोर्ट, रांची में मध्यस्थता के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे;*

(ग) अनुलग्नक IA-3 और अनुलग्नक IA-4 के माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में साक्ष्य, और

(d) अनुबंध IA-2 के माध्यम से दिनांक 27 मार्च 2018 के समझौते की सामग्री; अभिलेखों का हिस्सा बनाया जाएगा।"

5. दिनांक 06.04.2022 के आदेश को प्रतिवादी द्वारा 2022 की सिविल अपील संख्या 4746 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और दिनांक 14.07.2022 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा 06.04.2022 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था और 2019 के आई.ए संख्या 9370 को मुख्य अपील के साथ नए सिरे से लेने का निर्देश दिया गया था। 2022 की सिविल अपील संख्या 4746 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2022 इस प्रकार है:

"आदेश

अनुमति दी गई।

विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होती है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1860 (इसके बाद 'कोड' के रूप में संदर्भित) के आदेश XLI नियम 27 के तहत एक आवेदन की अनुमति दी गई थी, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के लिए याचिका में निर्णय से उत्पन्न अपील के निपटान तक लंबित है।

श्री कुश चतुर्वेदी, विद्वान एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, जो कैविएट पर हैं, प्रतिवादी की ओर से नोटिस लेते हैं।

बेशक, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) और (i-a) के तहत परिवार न्यायालय के फैसले से उत्पन्न अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

खण्ड न्यायपीठ ने दो गलतियां की हैं। वो हैं:

(1) इसने संहिता के आदेश XLI नियम 27 के तहत आवेदन पर स्वतंत्र रूप से विचार किया है, जबकि सामान्य नियम इसे मुख्य अपील के साथ लेना है; और

(2) डिवीजन बेंच ने इंगित किया है कि अतिरिक्त साक्ष्य पर किस हद तक विचार किया जाना है।

दूसरे शब्दों में, दस्तावेजों की प्रासंगिकता, स्वीकार्यता आदि पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था।

इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया है और 2019 के आईए नंबर 9370 के आवेदन को नए सिरे से लेने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मुख्य अपील 2017 की एफ.ए संख्या 207 है।

अतिरिक्त दस्तावेजों की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता और सबूत के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को आवेदन के साथ अपील की अंतिम सुनवाई के चरण में आगे बढ़ाने के लिए खुला रखा जाता है।

6. दिनांक 14.07.2022 के पूर्वोक्त आदेश के मद्देनजर, हमने 2019 के आईए संख्या 9370 के साथ-साथ 2017 के एफ.ए संख्या 207 में संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

7. याचिकाकर्ता-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत प्रतिवादी-पत्नी के साथ अपने विवाह को भंग करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का विवाह प्रतिवादी के साथ 16.02.1993 को रिश्रा, पश्चिम बंगाल में दो साल से अधिक समय तक प्रेम संबंध और प्रेमालाप से और हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार दोनों परिवारों से आपसी सहमति से हुआ था। यह कहा गया है कि शुरू से ही प्रतिवादी किसी न किसी बहाने अपने माता-पिता के घर जाना चाहती थी और याचिकाकर्ता की सहमति के बिना अपने माता-पिता के साथ रहना चाहती थी। याचिकाकर्ता एक निजी कंपनी में काम कर रहा था और उसकी शादी के कुछ समय बाद उसे 01.06.1993 को रांची स्थानांतरित कर दिया गया था। यह कहा गया है कि उक्त विवाह के कारण याचिकाकर्ता और प्रतिवादी

को 09.06.1994 को तनवी नाम की एक एक लड़की का जन्म हुआ , जो अब वयस्क है और वर्तमान में प्रतिवादी के साथ रह रही है और सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची में पढ़ रही है। शादी के शुरुआती दिनों के बाद प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ नियमित रूप से झगड़ा करना शुरू कर दिया और इस तरह के झगड़े का मुख्य कारण प्रतिवादी का अपने माता-पिता के साथ कोलकाता में रहने का जुनून था, जो याचिकाकर्ता के लिए अपनी नौकरी के प्रति प्रतिबद्धता के कारण संभव नहीं था, जो बहुत बड़ी मांग थी। प्रतिवादी के माता-पिता नियमित रूप से रांची में याचिकाकर्ता के घर जाते थे और इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने अपने बच्चों को अपने नाना-नानी के साथ रहने के लिए कोलकाता में रखने का भी फैसला किया। प्रतिवादी द्वारा दिए गए मानसिक तनाव के कारण, याचिकाकर्ता ने अपनी निजी नौकरी छोड़ दी और चिकित्सा उपकरणों का व्यवसाय करना शुरू कर दिया और कभी-कभी रांची में कंप्यूटर शिक्षा भी शुरू कर दी। यह कहा गया है कि प्रतिवादी काम करना चाहती थी और याचिकाकर्ता पर दबाव डालना चाहती थी ताकि याचिकाकर्ता उसे कुछ नौकरी दिला सके। अंत में, प्रतिवादी ने रांची के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में नौकरी हासिल की जहां उसने लगभग दो साल तक काम किया। इस दौरान प्रतिवादी का व्यवहार बहुत ख़राब हो गया और उसने याचिकाकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक अंतरंगता से भी इनकार कर दिया। स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि याचिकाकर्ता ने रांची से जमशेदपुर तक अपने व्यवसाय के संचालन का विस्तार किया और चूंकि जमशेदपुर में उसकी व्यावसायिक संभावनाएं उज्जवल दिख रही थीं, इसलिए उसने रांची से जमशेदपुर में निवास स्थानांतरित करने का फैसला किया। उस अवधि के दौरान जब याचिकाकर्ता ने जमशेदपुर में रहना शुरू किया, तो याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से जमशेदपुर में शामिल होने का अनुरोध किया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और रांची में वापस आ गई। यह कहा गया है कि प्रतिवादी का व्यवहार अधिक कठोर हो गया और उसने रिश्ते के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया और प्रतिवादी ने एक अकेली महिला की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। प्रतिवादी अक्सर याचिकाकर्ता को जमशेदपुर में फोन करती थी और याचिकाकर्ता को प्रताड़ित भी करती थी और उसने याचिकाकर्ता को सबक सिखाने के लिए अपने पुरुष मित्रों का इस्तेमाल किया। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना होने पर याचिकाकर्ता ने जुलाई 1999 में प्रतिवादी को रांची से जमशेदपुर लाने का फैसला किया,

लेकिन जमशेदपुर आने के बाद प्रतिवादी का व्यवहार बिगड़ गया। प्रतिवादी ने एक समय में याचिकाकर्ता पर रसोई के चाकू से हमला किया, लेकिन किसी तरह याचिकाकर्ता खुद को बचाने में कामयाब रहा। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक जीवन समय के साथ इस हद तक बिगड़ गया कि 17.09.1999 को प्रतिवादी जमशेदपुर से कोलकाता में अपने माता-पिता के घर चली गई। 17.09.1999 से अप्रैल, 2000 तक दोनों अलग रहे और उसके बाद याचिकाकर्ता ने अलग होने के लिए मामला दायर करने का फैसला किया। हालांकि, इस बीच, प्रतिवादी के माता-पिता ने हस्तक्षेप किया और याचिकाकर्ता से अनुरोध किया कि वह प्रतिवादी को इस वादे के साथ एक और मौका दे कि वह अपने तरीके से सुधार करेगी और भविष्य में कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करेगी। प्रतिवादी के माता-पिता ने भी आश्वासन दिया था कि यदि प्रतिवादी ने भविष्य में कभी दुर्व्यवहार किया तो याचिकाकर्ता उसे वापस भेजने और उसके खिलाफ अलग होने के लिए कानूनी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके बाद प्रतिवादी जमशेदपुर वापस आई और लगभग छह महीने तक ठीक से व्यवहार कि, लेकिन एक बार फिर से अपने पहले के व्यवहार को फिर से शुरू कर दि और याचिकाकर्ता के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दि। मई, 2023 में, याचिकाकर्ता को झारखंड सरकार में एक अस्थायी नौकरी मिल गई और वह वापस रांची चला गया, जबकि प्रतिवादी जमशेदपुर में वापस आ गया। प्रतिवादी अंततः वर्ष 2005 में रांची में स्थानांतरित हो गया और दोनों एक ही घर में रहने लगे, हालांकि अलग-अलग कमरों में। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने नेस्ट अपार्टमेंट, साउथ ऑफिस पारा, डोरंडा, रांची में एक-एक फ्लैट खरीदा था और दोनों अलग-अलग फ्लैटों में रहने लगे थे। वर्ष 2007 में, अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से दूसरे बच्चे के लिए अनुरोध किया और 06.05.2008 को उनको एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ। स्थिति में सुधार नहीं हुआ और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कई अनुरोधों के बावजूद प्रतिवादी एक अलग फ्लैट में रहती रही। जुलाई, 2012 में, याचिकाकर्ता ने कांके रोड, रांची में दो फ्लैट इस उम्मीद पर खरीदे कि बेहतर माहौल में स्थिति में सुधार होगा, लेकिन प्रतिवादी ने अपने बच्चों के साथ याचिकाकर्ता के नए आवास में स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, जब प्रतिवादी अलग रहने के लिए अड़ा रहा, तो याचिकाकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों को शामिल किया, जिस पर उसके बड़े भाई और भाभी प्रतिवादी के वैवाहिक जीवन में

उथल-पुथल के बारे में सूचित करने के लिए प्रतिवादी के माता-पिता के घर गए। हालांकि, प्रतिवादी के माता-पिता ने याचिकाकर्ता के साथ बात करने से इनकार कर दिया और रांची भी नहीं आए, जिसने याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के साथ अपनी शादी के विघटन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया।

8. यह पता चलने पर प्रतिवादी उपस्थित हुई और अपना लिखित बयान दायर किया जिसमें तलाक के लिए आवेदन में याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप को अस्वीकार कर दिया गया है। यह कहा गया है कि शादी के समय याचिकाकर्ता अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा था और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की शादी के कारण उसके पास अपने माता-पिता का कोई समर्थन नहीं था और उसने हमेशा प्रतिवादी को अपने माता-पिता के घर जाने के लिए मजबूर किया ताकि धन की कमी के कारण प्रतिवादी के माता-पिता पर अपना बोझ डाला जा सके, लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण था। वह याचिकाकर्ता के साथ रांची गई थी और वह अभी भी अपनी बेटियों के साथ उसके साथ रह रही है। प्रतिवादी कभी भी याचिकाकर्ता को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि प्रतिवादी को यह पता था कि यदि उसने याचिकाकर्ता को लंबी अवधि के लिए छोड़ दिया तो याचिकाकर्ता खुद को अन्य महिलाओं के साथ लिप्त कर लेगा क्योंकि वह एक मजबूत चरित्र का व्यक्ति नहीं था। याचिकाकर्ता हमेशा युवा महिलाओं के साथ दोस्ताना संबंध रखता था और जब भी वह किसी महिला के साथ गहराई से जुड़ जाता था, तो वह प्रतिवादी को कोलकाता में उसके पैतृक घर जाने के लिए राजी करता था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का किसी अमुश्री झा @ लक्ष्मी के साथ घनिष्ठ संबंध है और वे अक्सर सभी सामाजिक और व्यावसायिक बैठकों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में एक साथ पाए जाते हैं जहां याचिकाकर्ता ने उक्त महिला को "श्रीमती मलिक" के रूप में पेश किया था। याचिकाकर्ता द्वारा अमुश्री झा के साथ अपने रिश्ते को वैध बनाने के लिए तलाक का मुकदमा दायर किया गया है। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने या उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से इनकार करने से इनकार किया है। यह आगे कहा गया है कि जब याचिकाकर्ता जमशेदपुर में स्थानांतरित हो गया, तो उसने खुद को राजनेताओं के साथ जोड़ लिया और संदिग्ध चरित्र की कुछ महिलाओं के संपर्क में आया और परिणामस्वरूप प्रतिवादी और उसकी बेटियों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया जो रांची

में रह रही थीं। जब भी प्रतिवादी ने उसके अनैतिक संबंधों का विरोध किया, याचिकाकर्ता उग्र हो गया और उसे तलाक देने की धमकी दी। याचिकाकर्ता ने अपने स्वयं के धन से एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया था और उसने अपने लिए दो अपार्टमेंट रखे थे और एक अपार्टमेंट में उसने अपनी मां की नेमप्लेट लगाई है जबकि दूसरे जगह में अमुश्री झा @ लक्ष्मी की नेमप्लेट है। प्रतिवादी और उसकी दो बेटियों को रांची के कांके रोड पर याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित बहुमंजिला इमारत के परिसर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। प्रतिवादी अपनी बेटियों के साथ डोरंडा में रहती है, जहां कभी-कभी याचिकाकर्ता उनसे मिलने आता है। प्रतिवादी पति और पत्नी के रूप में किसी भी स्थान पर याचिकाकर्ता के साथ रहने को तैयार है। यह कहा गया है कि पैंटालून टॉवर में उद्घाटन समारोह के अवसर पर उन्होंने अमुश्री झा को अपनी पत्नी के रूप में पेश किया और जब प्रतिवादी और उनकी बेटी पहुंचे तो याचिकाकर्ता और अमुश्री झा ने खुद को अलग कर लिया और याचिकाकर्ता के अनैतिक व्यवहार के कारण यह प्रतिवादी के लिए एक अजीब स्थिति बन गई।

9. पक्षकारों की दलीलों के आधार पर अधिनिर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे:

I. क्या वाद अपने वर्तमान स्वरूप में अनुरक्षणीय है?

II. क्या याचिकाकर्ता के पास कार्रवाई का वैध कारण है?

III. क्या प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है और उसे छोड़ दिया है?

IV. क्या याचिकाकर्ता व्यभिचारी जीवन जी रहा है और अपनी गलती का फायदा उठाना चाहता है?

V. क्या याचिकाकर्ता तलाक की डिक्री पाने का हकदार है?

VI. याचिकाकर्ता किन राहत या राहतों का हकदार है?

10. याचिकाकर्ता ने अपने मामले के समर्थन में तीन गवाहों की जांच की है, जिसमें वह भी शामिल है।

11. **पी.डब्ल्यू.1 (सुमित अग्रवाल)** दोनों पक्षों से परिचित है। उन्होंने कहा है कि वह याचिकाकर्ता को वर्ष 2008 से जानते हैं। संबंध विकसित हुए क्योंकि दोनों ने व्यवसाय करना शुरू कर दिया जो वे अभी भी जारी रखे हुए हैं। याचिकाकर्ता के प्रति प्रतिवादी का व्यवहार कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं था और उसने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को कभी भी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ नहीं देखा था। याचिकाकर्ता कांके रोड में अपने निवास पर रहता है जबकि प्रतिवादी डोरंडा में रहती है। प्रतिवादी, उसकी जानकारी के अनुसार, वर्ष 2012 से याचिकाकर्ता से अलग रह रही है। प्रतिवादी याचिकाकर्ता के प्रति कभी भी प्यार, स्नेह और देखभाल नहीं करती थी और वह केवल याचिकाकर्ता की संपत्ति और धन के लिए चिंतित थी। उन्होंने कहा है कि कई मौकों पर उन्होंने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को कभी भी अपने पति के रूप में कोई सम्मान नहीं दिया और वास्तव में एक बार प्रतिवादी ने उसे याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कुछ सादे कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा था ताकि वह याचिकाकर्ता की पूरी संपत्ति को उसके नाम पर स्थानांतरित कर सके। प्रतिवादी के बुरे व्यवहार के कारण याचिकाकर्ता की मानसिक पीड़ा तेज हो गई और हालांकि याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा सकारात्मक प्रयास किए गए, प्रतिवादी ने अपने दुर्व्यवहार को जारी रखा और किसी भी सलाह को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी का एक योग प्रशिक्षक के साथ अवैध संबंध है और उसने दोनों को एक साथ देखा था और हाल ही में वे खुद को पति-पत्नी के रूप में प्रस्तुत करते हुए राज्य से बाहर गए थे।

जिरह में, उसने गवाही दी है कि वह जानता है कि याचिकाकर्ता ने आईआईटी, खड़गपुर से इंजीनियरिंग पास की थी। वह याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच शादी के समय मौजूद नहीं था। वह 2010 से रांची में रह रहा है और वह याचिकाकर्ता का कर्मचारी नहीं बल्कि एक साथी है। वह पहली बार दिल्ली में याचिकाकर्ता से मिले था और याचिकाकर्ता स्वतंत्रता सेनानी कॉलोनी में रहता था जो साकेत क्षेत्र में स्थित है। याचिकाकर्ता दिल्ली में अपने फ्लैट में अकेला रहता था। याचिकाकर्ता का व्यावसायिक

कार्यालय फ्रीडम फाइटर्स कॉलोनी में किराए के स्थान पर स्थित है और इसमें 200-300 लोग कार्यरत हैं। वह नहीं जानते कि याचिकाकर्ता के पास कितनी फर्मों का स्वामित्व है। याचिकाकर्ता इंडिया इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और वह उक्त फर्म के निदेशक भी हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी रियल एस्टेट और निवेश में काम करती है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसका शाखा कार्यालय रांची में है। इंडिया इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी में चार निदेशक हैं, जिनमें खुद, याचिकाकर्ता, पुनीत खेतान और प्रसन्नजीत मलिक शामिल हैं। वह कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं जिसके लिए उन्हें प्रति माह 25,000/- रुपये का पारिश्रमिक मिलता है। याचिकाकर्ता के रांची के श्रीराम गार्डन में दो फ्लैट हैं। साउथ ऑफिस पारा के फ्लैट भी याचिकाकर्ता के हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी बेटियों को दे दिया है। श्री राम गार्डन के एक फ्लैट में याचिकाकर्ता रहता है जबकि दूसरा कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने वाद और लिखित वक्तव्य की विषय-वस्तु नहीं पढ़ी है। उन्होंने गवाही दी है कि पैंटालून बिल्डिंग में याचिकाकर्ता के पास पूजा शॉपे नाम की फ्रेंचाइजी है जिसे किसी और को सौंपा गया है। वह नहीं जानते कि जब अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्य मंत्री थे तो याचिकाकर्ता उनके पीएस थे। पैंटालून भवन में उद्घाटन समारोह में प्रतिवादी अपने बच्चों के साथ आई थी। वह अमुश्री झा के बारे में इस हद तक जानते हैं कि वह डिवस ई-कॉमर्स कंपनी की निदेशक हैं। पूजा शोपी की ओपनिंग सेरेमनी में अमुश्री झा भी मौजूद रहीं। उन्होंने याचिकाकर्ता के फ्लैट में स्थित याचिकाकर्ता के कार्यालय में अमुश्री झा को कभी नहीं देखा था। याचिकाकर्ता और अमुश्री झा साथ नहीं रहते। याचिकाकर्ता ने अपनी किसी भी बेटी को अपने व्यावसायिक उपक्रमों में भागीदार नहीं बनाया है।

12. **पीडब्ल्यू 2 (तापस कुमार मलिक)** याचिकाकर्ता है जिसने हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार 16.02.2023 को प्रतिवादी के साथ अपनी शादी के बारे में कहा है। शादी के शुरुआती चरण से ही प्रतिवादी ने अक्सर अपने माता-पिता की अनुमति के बिना उनके घर जाना शुरू कर दिया। उस समय, वह एक निजी फर्म में कार्यरत थे और 01.06.1993 को उन्हें रांची स्थानांतरित कर दिया गया था। दिनांक 09.06.2014 को एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम "तनवी" रखा गया, जो वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय की छात्रा है। शादी की शुरुआत से ही उसके प्रति प्रतिवादी का व्यवहार अशिष्ट था और उसके लिए छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करना और उसकी बात नहीं सुनना एक आदत

बन गई, इसका कारण कोलकाता में शिफ्ट होने और अपने माता-पिता के साथ घर बसाने की उसकी इच्छा थी। हालांकि, उनकी सेवा और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण उनके लिए इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं था। प्रतिवादी के माता-पिता नियमित रूप से उसके घर आते थे और उसके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करते थे। ऐसे ही मानसिक तनाव और चिंता के चलते उन्होंने अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर दिया। प्रतिवादी को एक डायग्नोस्टिक सेंटर में नौकरी मिल गई और उसकी अनुमति के बिना उसने अपनी बेटी को उसके माता-पिता के पास कोलकाता भेज दिया था। प्रतिवादी ने उस पर मानसिक यातना शुरू कर दी और उसके साथ शारीरिक अंतरंगता रखने के लिए अपनी अनिच्छा भी व्यक्त की। इस बीच, उन्होंने बेहतर संभावनाओं के कारण अपना व्यवसाय रांची से जमशेदपुर स्थानांतरित कर दिया और हालांकि उन्होंने प्रतिवादी को जमशेदपुर में स्थानांतरित करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और रांची में रहना जारी रखा। उसके प्रति प्रतिवादी का व्यवहार बद से बदतर हो गया और उसने खुद को एक अकेली महिला के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। प्रतिवादी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बावजूद वह जुलाई, 1999 में प्रतिवादी को जबरन रांची से जमशेदपुर ले आया, लेकिन उसके प्रति उसका बुरा व्यवहार अटूट था और वह रांची वापस जाने के लिए अड़ी हो गई और इनकार करने पर उसने एक बार रसोई के चाकू से उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन वह किसी तरह बच गया था। उन्होंने कहा है कि अचानक 17.09.1999 को प्रतिवादी कोलकाता के लिए रवाना हो गया थी और 17.09.1999 से अप्रैल, 2002 तक वह और प्रतिवादी दोनों अलग रहे। जब वह न्यायिक अलगाव की संभावना तलाश रहा था, तो प्रतिवादी के माता-पिता ने हस्तक्षेप किया और उससे प्रतिवादी को एक और मौका देने का अनुरोध किया, जिस पर वह याचिकाकर्ता के साथ वैवाहिक जीवन बहाल करने के लिए सहमत हो गया। प्रतिवादी ने वादा किया था कि वह उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी और पत्नी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सख्ती से पूरा करेगी। इसके बाद वह प्रतिवादी को जमशेदपुर वापस ले आया जहां उसका व्यवहार छह महीने तक सौहार्दपूर्ण रहा, लेकिन उसके बाद, उसने एक बार फिर अपने पहले के स्वरूप को सजाया। इस बीच, उन्होंने वर्ष 2003 में झारखंड सरकार में नौकरी हासिल कर ली थी और वह और प्रतिवादी 2005 में रांची वापस आ गए जहां दोनों ने अलग-अलग कमरों में एक घर में एक साथ रहना शुरू कर

दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नेस्ट अपार्टमेंट, साउथ ऑफिस पारा, डोरंदा, रांची में दो फ्लैट खरीदे थे और दोनों अलग-अलग फ्लैटों में रहने लगे थे। 06.05.2008 को दंपति का एक और बच्चा हुआ जिसने उन्हें आशावादी बना दिया कि उनके बीच संबंध बेहतर हो जाएंगे। उसने प्रतिवादी से एक फ्लैट में एक साथ रहने का अनुरोध किया था लेकिन उसने इनकार कर दिया और अलग-अलग रहना जारी रखा। जब भी उसके माता-पिता रांची आते थे और 2-4 दिनों के लिए उसके साथ रहते थे, तो प्रतिवादी उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी और अपने दोस्तों के साथ एक होटल में भोजन करने के लिए बाहर जाती थी। प्रतिवादी ने अपने माता-पिता को वित्तीय सहायता देने पर अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। प्रतिवादी हमेशा अपनी संपत्तियों को हथियाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। जुलाई 2012 में उन्होंने कांके रोड पर दो फ्लैट खरीदे थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि अगर दोनों नई अधिग्रहित संपत्ति में एक साथ रहते हैं तो उनके रिश्ते में सुधार हो सकता है। प्रतिवादी ने हालांकि कांके रोड स्थित फ्लैट में रहने से इनकार कर दिया और वह अपने बच्चों के साथ डोरंडा में रहती रही। शादी बचाने के लिए उसने दोनों पक्षों के रिश्तेदारों से हस्तक्षेप करने के लिए कहा था और सितंबर, 2013 में उसके बड़े भाई और भाभी प्रतिवादियों के माता-पिता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कोलकाता गए थे और वे समान रूप से सहमत थे कि प्रतिवादी के साथ उसकी शादी खराब चल रही है। प्रतिवादी के माता-पिता ने प्रतिवादी में कुछ समझदारी लाने के लिए उसके निमंत्रण पर रांची आने से इनकार कर दिया था।

जिरह में उसने गवाही दी है कि श्रीराम गार्डन अपार्टमेंट के कांके रोड पर उसके फ्लैट हैं। उनके पास दिल्ली में एक कार्यालय-सह-निवास को छोड़कर रांची के अलावा कोई फ्लैट या घर नहीं है। दिल्ली में उनकी डिवस ई-कॉमर्स के नाम और शैली में एक कंपनी है, जिसके वे निदेशक हैं। वह इंडिया इंफ्रा निर्माण लिमिटेड के निदेशक भी हैं, जिसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। वह ग्लोबल कॉर्प नामक रियल एस्टेट फर्म के मालिक हैं और वह जेनिथ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक भी हैं। वह राजवीर इंफ्रा कॉम प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक भी थे, लेकिन वर्तमान समय में वह कंपनी में नहीं हैं। उन्होंने गवाही दी है कि उनकी शादी के समय वह विप्रो जीई मेडिकल सिस्टम में काम कर रहे थे और वह कोलकाता में तैनात थे। जब वह कोलकाता में तैनात थे तो उनकी पत्नी उनके साथ रहती थीं। रांची स्थानांतरित होने के बाद, दोनों ने बरियातू

हाउसिंग कॉलोनी में किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया और बाद में डॉ. केके सिन्हा के डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर एक आवास में स्थानांतरित हो गए, जहां वे 1998 तक रहे। जब उन्होंने चिकित्सा उपकरणों का व्यवसाय शुरू किया तो उनकी वित्तीय स्थिति स्थिर नहीं थी। उस दौरान उसके माता-पिता नहीं आते थे लेकिन कभी-कभी प्रतिवादी के माता-पिता रांची आते थे। प्रतिवादी नहीं चाहती थी कि उसके माता-पिता आएं और उनके साथ रहें। 1997 में, वह प्रतिवादी के लिए सीटी स्कैनर ऑपरेटर के रूप में नौकरी हासिल करने में कामयाब रहा था और उक्त अवधि के दौरान उसकी बेटी अपने सास-ससुर के साथ रहती थी। उन्होंने बयान दिया है कि शोमिला बनर्जी उनके एसटीजी रांची सेंटर कार्यालय में काम करती थीं, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि वह किस पद पर काम कर रही थीं। वह रांची में उस जगह को नहीं जानते जहां शोमिला बनर्जी काम कर रही हैं। उन्हें याद नहीं कि शोमिला बनर्जी के पिता के बीमार होने पर उनका इलाज कराया था। उन्होंने शोमिला बनर्जी के साथ कोई संबंध होने से इनकार किया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि केवल शोमिला बनर्जी से शादी करने के लिए उन्होंने जानबूझकर प्रतिवादी से दूरी बनाई थी। उन्होंने सीएम हाउस में 2003-2006 की अवधि के लिए एक संविदात्मक रोजगार प्राप्त किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने पर रोजगार समाप्त हो गया था। जब उनकी बड़ी बेटी तनवी ने 5 वीं कक्षा पास की थी, तो उनकी पत्नी अपनी बेटियों के साथ रांची आई थीं और यह प्रतिवादी पर उनके द्वारा बनाए गए दबाव के कारण था। जब भी उसके माता-पिता आते थे, वे बहुत कम दिनों के लिए रुकते थे क्योंकि प्रतिवादी उन पर अत्याचार करती थी। उसने बीस साल से अधिक समय तक प्रतिवादी के तीखे व्यवहार का सामना किया है जिसने उसे तलाक के लिए मुकदमा दायर करने के लिए विवश किया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में अपनी पत्नी को वापस लाने की इच्छा के बारे में कहा है, लेकिन उन्होंने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई मामला दर्ज नहीं किया था। उन्होंने मिस जमशेदपुर को जानने से इनकार किया है। उनकी पत्नी और बेटियां जमशेदपुर से रांची शिफ्ट होने के एक साल बाद उनके पास आ गई थीं और वे सीएम कैंपस में रहती थीं, हालांकि अलग-अलग कमरों में। उन्होंने गवाही दी है कि नेस्ट अपार्टमेंट में उन्होंने और प्रतिवादी ने वर्ष 2005 में अलग-अलग फ्लैट खरीदे थे। वे वर्ष 2006 में उक्त फ्लैटों में स्थानांतरित हो गए। दोनों फ्लैट आपस में जुड़े हुए थे। उनका रियल एस्टेट बिजनेस ऑफिस दो

महीने तक फ्लैट में रहा, लेकिन उसके बाद ऑफिस उसी इलाके में दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। उन्होंने गवाही दी है कि हालांकि नेस्ट अपार्टमेंट में दोनों ने जो फ्लैट खरीदे थे, वे आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन दोनों फ्लैटों को जोड़ने वाला दरवाजा बंद रहा। उन्हें नेस्ट अपार्टमेंट से अपना कार्यालय चलाने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा था और उनकी बेटियों की शिक्षा में भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन प्रतिवादी द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वह और प्रतिवादी कभी-कभी माता-पिता के शिक्षक की बैठक में एक साथ भाग लेते थे। उनके नाम पर श्रीराम अपार्टमेंट में दो फ्लैट हैं और दोनों ही फ्लैट आवासीय हैं। डिवस ई-कॉमर्स में स्वयं सहित चार निदेशक हैं और बाकी प्रसन्नजीत मलिक, प्रबल सेन और डॉ अमुश्री झा हैं। नवंबर 2015 में डॉ. अमुश्री झा से उनकी जान-पहचान हुई। उन्हें एक फोटोग्राफ दिखाया गया, जिसकी पहचान उन्होंने डॉ. अमुश्री झा के रूप में की जिसे प्रदर्श-ए के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्हें अमुश्री झा के बारे में फेसबुक से नहीं बल्कि उनके दोस्त द्वारा आयोजित एक पार्टी में पता चला था। जून, 2015 में वह अकेले बेंगलुरु गए थे। 17.07.2016 को, वह अदालत से संबंधित काम के लिए दिल्ली से रांची आया था और मार्क-वाई को देखते हुए उसने गवाही दी है कि उसकी सीट नं. वह 6ए थी और उसे याद नहीं है कि सीट नंबर 6बी अमुश्री झा के नाम पर बुक की गई थी या नहीं। जब उसका सामना पीएनआर नं. टिकट में उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनके और साथ ही अमुश्री झा के टिकट पर एक ही पीएनआर नंबर कैसे था। उनके पास श्री राम गार्डन में तीन फ्लैट हैं और एक फ्लैट उन्होंने मुकदमा लंबित रहने के दौरान खरीदा था। वह एक फ्लैट में रहते हैं जबकि अन्य दो फ्लैट किराए पर दिए गए हैं। इनमें से एक फ्लैट अमूश्री झा को दिया गया है, जबकि दूसरा फ्लैट एक कंपनी को किराए पर दिया गया है। उन्होंने गवाही दी है कि अमुश्री झा ने अपना फ्लैट किराए पर लिया था क्योंकि हरिहर सिंह रोड पर उनका घर निर्माणाधीन है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने तिरुपति में अमुश्री झा के साथ शादी की थी। अमुश्री झा उस फ्लैट में रहती हैं, जिस पर नेमप्लेट 'लक्ष्मी' लगी हुई है।

13. **पीडब्ल्यू 3 (तपन कुमार मलिक)** याचिकाकर्ता का भाई है जिसने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच हुए विवाह और दो बच्चों के जन्म के बारे में कहा है। शादी के बाद याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों में अक्सर झगड़े होते थे और प्रतिवादी याचिकाकर्ता के

परिवार के सदस्यों को नापसंद करती थी। प्रतिवादी उसके और उसकी पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार करती थी। वह कभी-कभी प्रतिवादी के घर अक्सर जाता था और प्रतिवादी भी उसके घर आती थी। हालांकि उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने प्रतिवादी को उसके व्यवहार के बारे में समझाने की कोशिश की लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जब उसका भाई वर्ष 2005 में रांची चला गया था, तो वह और उसका परिवार रांची गए थे और उसने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को अलग-अलग कमरों में रहते देखा था। जब उसने याचिकाकर्ता से उक्त तथ्य के बारे में बात की थी, तो याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी की झगड़ालू प्रकृति को अलग रहने के पीछे के कारण के रूप में प्रकट किया था। जब भी याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों ने प्रतिवादी को अपने तरीके सुधारने की सलाह दी, तो प्रतिवादी ने उन्हें गाली दी और अपमानित किया। प्रतिवादी याचिकाकर्ता पर शारीरिक और मानसिक यातना देती थी। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2012 में कांके रोड में फ्लैट लेने के बाद याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच कोई संबंध नहीं रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार किए गए प्रयासों के बावजूद, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ रहने के लिए कांके रोड आने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी याचिकाकर्ता की संपत्ति हड़पने के लिए याचिकाकर्ता की पत्नी के रूप में रहना चाहती है। पार्टियों के बीच समझौते की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने प्रतिवादियों के माता-पिता से मुलाकात की थी और उन्हें रांची जाने और स्थिति को बचाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और खुलासा किया कि वे तलाक के लिए तैयार हैं।

जिरह में उन्होंने गवाही दी है कि साउथ ऑफिस पारा के फ्लैट अलग-अलग हैं और उनके बीच कोई इंटरकनेक्टिंग डोर नहीं है। जब वह और उसकी पत्नी रांची गए थे तो वे याचिकाकर्ता के फ्लैट में रहे थे, जबकि प्रतिवादी अपनी दो बेटियों के साथ दूसरे फ्लैट में रहती थी। जब याचिकाकर्ता साउथ ऑफिस पाड़ा में रहता था, तो उसकी बेटियों के साथ बहुत ही मिलनसार संबंध थे। प्रतिवादी के साथ उनके कभी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। उन्हें पता है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी वर्ष 2012 से अलग-अलग रह रहे हैं। प्रतिवादी ने उसे कभी नहीं बताया कि याचिकाकर्ता के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध हैं। उन्होंने दावा किया है कि वह अमूश्री झा को नहीं जानते हैं।

14. प्रतिवादी ने स्वयं सहित तीन गवाहों की जांच की है।

15. **आर.डब्ल्यू. 1 (नंदिनी मलिक**) प्रतिवादी और याचिकाकर्ता की पत्नी है जिसने पश्चिम बंगाल राज्य के कोनगर में 16.02.1993 को उसके और याचिकाकर्ता के बीच हुए प्रेम विवाह के बारे में कहा है। शादी के बाद वह रिशरा में अपने ससुराल चली गई थी जहां वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगे थे। शादी के समय याचिकाकर्ता विप्रो में काम कर रहा था और जून 1993 में याचिकाकर्ता का तबादला कोलकाता से रांची कर दिया गया और वह याचिकाकर्ता के साथ रांची आ गई। 09.06.1994 को, उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम तनवी रखा गया था और जन्म के बाद उसने अपने माता-पिता के घर कुछ दिन बिताए थे। याचिकाकर्ता की सलाह पर, उसने सीटी स्कैन मशीन के ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षण लिया था, जिसके लिए उसे अपनी बेटी को उसकी मां के घर छोड़ना पड़ा था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद याचिकाकर्ता डॉ. के.के सिन्हा के क्लिनिक में उसके लिए नौकरी सुरक्षित करने में कामयाब रहा, जहाँ उसने तीन साल तक काम किया। याचिकाकर्ता ने विप्रो में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और रांची में एसटीजी के नाम से एक कंप्यूटर सेंटर खोला था और उसने जमशेदपुर के साकची में एक और केंद्र भी खोला था। याचिकाकर्ता ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर में एक तीसरा केंद्र खोला था क्योंकि याचिकाकर्ता का मानना था कि जमशेदपुर में बेहतर व्यावसायिक संभावनाएं हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उसे कोननगर से जमशेदपुर बुलाया और दोनों एक साथ रहने लगे। रांची में याचिकाकर्ता के कंप्यूटर सेंटर में शोमिला बनर्जी काम करती थीं और याचिकाकर्ता ने शोमिला बनर्जी के साथ अवैध संबंध विकसित कर लिए थे और जब उन्होंने इस तरह के रिश्ते पर आपत्ति जताई, तो याचिकाकर्ता ने उन्हें धमकी दी कि वह शोमिला बनर्जी से शादी करने के लिए तलाक दे देंगे। यही कारण था कि उसे रांची से वापस जमशेदपुर बुलाया गया ताकि याचिकाकर्ता को रांची में शोमिला बनर्जी से मिलने में कोई बाधा न आए। उसने कहा है कि महिलाएं याचिकाकर्ता की कमजोरी हैं। याचिकाकर्ता शोमिला बनर्जी पर पैसा खर्च करता था और शोमिला बनर्जी के पिता के इलाज पर होने वाला खर्च भी वहन करता था। शोमिला बनर्जी एच.ई.सी, धुर्वा में रहती थीं और याचिकाकर्ता ने जमशेदपुर के वोल्टास में उनके लिए नौकरी हासिल की थी। उसने कहा है कि याचिकाकर्ता ने कंप्यूटर सेंटर चलाने का अपना व्यवसाय छोड़ दिया था और सीएम हाउस में पीए के पद पर अनुबंध के आधार पर अर्जुन मुंडा सरकार में शामिल हो गया

था। वर्ष 2004 में वह जमशेदपुर छोड़कर रांची आ गई और वह सीएम हाउस परिसर में आवंटित परिसर में रहने लगी। याचिकाकर्ता ब्रेन मलेरिया से पीड़ित था जिसके कारण उसे दौरे पड़ने लगे। सीएम हाउस में अपने कार्यकाल के बाद, याचिकाकर्ता ने रियल एस्टेट का व्यवसाय शुरू किया। वर्ष 2006 में याचिकाकर्ता ने नेस्ट अपार्टमेंट में दो फ्लैट खरीदे थे और दोनों फ्लैट आपस में जुड़े हुए थे। उसने याचिकाकर्ता और उसकी बेटी के साथ नेस्ट अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया और उनके बीच जो मतभेद सामने आए, वे याचिकाकर्ता के जीवन में एक महिला के प्रवेश के कारण थे। वह और याचिकाकर्ता कभी भी अलग-अलग कमरों में नहीं रहे और उसने शारीरिक संबंध के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को कभी अस्वीकार नहीं किया। वर्ष 2008 में उन्होंने एक दूसरी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम 'तमन्ना' रखा गया जो खुद साबित करता है कि उनके बीच पति-पत्नी का रिश्ता था। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2012 में श्री राम गार्डन अपार्टमेंट में दो फ्लैट खरीदे थे और वह नेस्ट अपार्टमेंट में रहने के दौरान उसमें रहने लगा था, लेकिन याचिकाकर्ता ने उसे कभी भी श्रीराम गार्डन में स्थानांतरित करने के लिए नहीं कहा। इसका कारण एक अवैध संबंध था जो याचिकाकर्ता और अमुश्री झा के बीच विकसित हुआ था और यहां तक कि घर के प्रवेश के अवसर पर भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। वह कई मौकों पर अपने बच्चों के साथ श्री राम अपार्टमेंट गई थी लेकिन उसे रहने की अनुमति नहीं दी गई और आखिरकार, उसे नेस्ट अपार्टमेंट में वापस आना पड़ा। याचिकाकर्ता श्रीराम गार्डन के एक फ्लैट में पति-पत्नी के रूप में अमुश्री झा के साथ रह रहा है। याचिकाकर्ता अमुश्री झा के साथ शादी करना चाहता है, यही कारण है कि उसने तलाक मांगा है। उसने याचिकाकर्ता पर कभी ऊंची आवाज में नहीं चिल्लाई थी और न ही उसने अपशब्दों का इस्तेमाल कि थी। शादी के बाद, उसने याचिकाकर्ता की प्रकृति का अंदाजा लगा लिया था और उसके द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद याचिकाकर्ता का झुकाव अन्य महिलाओं के प्रति बना रहा। याचिकाकर्ता ने डिवस ई-कॉमर्स के नाम से एक कंपनी खोली थी जिसमें अमुश्री झा को निदेशक बनाया गया था। उसने कहा है कि याचिकाकर्ता नियमित रूप से अमुश्री झा के साथ बाहर जाता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में पेश करता है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली में एक फ्लैट और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक कार्यालय लिया है और वह नियमित रूप से दिल्ली की यात्रा पर जाता है। उसने आगे कहा है कि 30.08.2016 को उसकी भाभी और उसकी दो बेटियां श्रीराम

गार्डन अपार्टमेंट में आई थीं, जहां उसे उसकी भाभी ने कहा और अमुश्री झा ने उससे लड़ना शुरू कर दि थी कि याचिकाकर्ता उसका पति है। उनकी भाभी और उनकी दो बेटियां अमुश्री झा का पक्ष ले रही थीं और उन्होंने उन्हें और उनकी बेटियों को घर से बाहर निकालने में अमुश्री झा का समर्थन किया था। याचिकाकर्ता और अमुश्री झा श्रीराम गार्डन के फ्लैट नंबर 702 में रहते थे और नेमप्लेट पर अमुश्री झा का उपनाम है जो "लक्ष्मी" है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त फ्लैट याचिकाकर्ता द्वारा अमुश्री झा के नाम पर स्थानांतरित किया गया है। याचिकाकर्ता कई राज्यों में रियल एस्टेट कारोबार में शामिल है और एक बड़ी राशि कमाता है जिसके कारण उसके परिवार के सदस्य उसका समर्थन करते हैं। याचिकाकर्ता के व्यवहार के कारण उसे समाज में मानसिक और शारीरिक पीड़ा के साथ-साथ अपमान भी झेलना पड़ा। याचिकाकर्ता के व्यवहार के कारण दोनों बेटियां चिंतित मूड में रहीं। उनकी बड़ी बेटी रांची विश्वविद्यालय में पीजी कर रही है जबकि छोटी बेटी स्कूल में पढ़ती है। उसने कहा है कि वह एक गृहिणी है और 40,000 रुपये प्रति माह की रखरखाव राशि खुद के साथ-साथ अपनी दो बेटियों के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है कि उसके योग प्रशिक्षक के साथ अवैध संबंध हैं।

जिरह में उसने गवाही दी है कि उसने अपनी इच्छा से सीटी स्कैन का प्रशिक्षण लिया था और उसके बाद उसने 3-4 वर्षों तक काम किया था। याचिकाकर्ता के अपने व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए जमशेदपुर स्थानांतरित होने के बाद, वह याचिकाकर्ता के साथ भी रही और उनका संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण था। चूंकि याचिकाकर्ता बीमार हो गई थी, इसलिए वह रांची वापस आ गई थी। अन्यथा भी उसने रांची में शिफ्ट होने का मन बना लिया था। उसने गवाही दी है कि याचिकाकर्ता को केवल एक बार दौरा पड़ा था। उन्होंने आगे गवाही दी है कि जिस फ्लैट में वह रहती थीं वह उनके नाम पर है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अन्य दो फ्लैट उनकी बेटियों के नाम पर हैं या नहीं। यह सच है कि याचिकाकर्ता ने तीन फ्लैट खरीदे थे, एक फ्लैट उसके नाम पर और बाकी दो फ्लैट तनवी और उसके संयुक्त नाम पर। उनके नाम पर "पुष्पांजलि" में एक और फ्लैट है। उसके पास 70-75 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि भी है जो उसे याचिकाकर्ता ने दी थी। याचिकाकर्ता ने नेस्ट अपार्टमेंट में दो फ्लैट खरीदे थे, एक उसके नाम पर और दूसरा याचिकाकर्ता के नाम पर और बाद में उसने अपना फ्लैट उसे और उसकी बेटी को उपहार

में दिया था। उसने बयान दिया है कि उसकी जानकारी के अनुसार शोमिला बनर्जी एसटीजी में काम करती थी और उसे याचिकाकर्ता के दोस्तों से शोमिला बनर्जी और याचिकाकर्ता के बारे में पता चला था और कैसे याचिकाकर्ता ने विभिन्न माध्यमों से उसकी मदद की थी। वह वर्ष 2002 में शोमिला बनर्जी से मिली थी क्योंकि उसने अपने घर में एक रात बिताई थी और याचिकाकर्ता हजारीबाग में था। उसके सास-ससुर नियमित रूप से उसके घर आते थे। अपने पहले और दूसरे बच्चे के जन्म की अवधि के बीच, उसने चार मौकों पर गर्भपात कराया था। वह नहीं जानती कि याचिकाकर्ता श्रीराम गार्डन में अपने फ्लैट में क्यों शिफ्ट हुआ था। गृह प्रवेश के दिन, वह बच्चों के साथ दोपहर 12:00 बजे श्री राम गार्डन गई थी, जब उसने याचिकाकर्ता को अकेले पूजा पूरी करते हुए देखा था और अपने दोस्तों को खाना खिला रही थी, जिसका उसने विरोध किया था। याचिकाकर्ता के 2005 से अमुश्री झा के साथ संबंध हैं और दोनों नियमित रूप से फेसबुक पर चैट करते थे। उसने 2012 से श्री राम गार्डन में याचिकाकर्ता के साथ रहने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन याचिकाकर्ता ने उसे वहां रखने से इनकार कर दिया था। उसने गवाही दी है कि वह कई दिनों तक श्री राम गार्डन में याचिकाकर्ता के साथ रही थी। गृह प्रवेश के बाद वह और उनके बच्चे श्रीराम गार्डन में कुछ दिनों के लिए रुके थे लेकिन अमुश्री झा की उपस्थिति नहीं थी। उन्होंने अमुश्री झा को 'गृह प्रवेश' के दौरान भी नहीं देखा था। वह इस बात का कोई सबूत पेश नहीं कर सकती कि याचिकाकर्ता अमुश्री झा के साथ पति और पत्नी के रूप में श्री राम गार्डन में रहता है। उन्हें शोमिला बनर्जी के ठिकाने का भी पता नहीं है और यह भी नहीं पता कि उन्होंने किससे शादी की थी। याचिकाकर्ता के शोमिला बनर्जी के साथ संबंध थे और उसके पास चैटिंग का प्रिंट आउट है। उन्होंने खुद याचिकाकर्ता और अमुश्री झा को श्रीराम गार्डन में डिनर करते देखा है। अमुश्री झा से मिलने के लिए याचिकाकर्ता अपने परिवार और व्यवसाय को छोड़कर दिल्ली चला जाएगा। वह नहीं जानती कि याचिकाकर्ता के जीवन में अमुश्री झा कब दाखिल हुए। उसके मोबाइल में याचिकाकर्ता और अमुश्री झा के पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने का सबूत है। उसने लिखित बयान की सामग्री नहीं देखी थी।

16. **आर.डब्ल्यू 2 (इंद्राणी बसु)** प्रतिवादी की बहन है जिसने कहा है कि तनवी के जन्म के बाद याचिकाकर्ता ने चार मौकों पर प्रतिवादी का जबरन गर्भपात कराया था। उसने कहा है कि जब भी कोई महिला याचिकाकर्ता के जीवन में आती थी तो प्रतिवादी के प्रति

उसका व्यवहार बदल जाता था और वह बच्चों के प्रति लापरवाह हो जाता था। जब याचिकाकर्ता ने रांची में एसटीजी कंप्यूटर सेंटर खोला था, तो उसने शोमिला बनर्जी के साथ संबंध विकसित किए थे जो उक्त संस्थान में काम कर रही थीं। जब प्रतिवादी अपनी बेटी को देखने के लिए कोनगर में अपने माता-पिता के घर गई थी, जो प्रतिवादी के माता-पिता के साथ रह रही थी, तो याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को सूचित किए बिना अपनी नौकरी समाप्त करने में कामयाबी हासिल की और जब वह कोनगर आया तो प्रतिवादी को आश्वासन दिया कि उसे एसटीजी कंप्यूटर सेंटर में नौकरी की पेशकश की जाएगी, जमशेदपुर में व्यापार की संभावनाएं बेहतर हैं। याचिकाकर्ता का यह आचरण उसे शोमिला बनर्जी के साथ अक्सर घूमने में सक्षम बनाने के लिए था क्योंकि प्रतिवादी की उपस्थिति इस तरह के कारनामों को बाधित करती। वर्तमान में याचिकाकर्ता ने अमुश्री झा के साथ अवैध संबंध विकसित कर लिए हैं, जिनके साथ याचिकाकर्ता शादी करना चाहता है और साथ ही याचिकाकर्ता शोमिला बनर्जी के साथ अपने रिश्ते को जारी रखे हुए है। एक बार जब प्रतिवादी कोननगर में था, याचिकाकर्ता ने उसे फोन पर सूचित किया था कि वह शोमिला बनर्जी के साथ शादी करने जा रहा है और जब इस तरह की जानकारी प्राप्त करने पर प्रतिवादी ने अपने ससुराल के परिवार से संपर्क किया, तो उसे कोई सहायता नहीं मिली, जिस पर वह जमशेदपुर वापस आ गई और आखिरकार याचिकाकर्ता प्रतिवादी को जमशेदपुर में अपने साथ रखने के लिए सहमत हो गया। 2008 में, प्रतिवादी ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम 'तमन्ना' रखा गया था। प्रतिवादी अपने वैवाहिक जीवन से इतना निराश है कि वह अपने माता-पिता से भी नहीं मिल सकती है। जब वह नेस्ट अपार्टमेंट गई थी, तो उसे याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच संबंधों में खुशी मिली थी, जिसने उसे भी विवादित बना दिया था। उसने कहा है कि मई, 2014 में जब वह और उसका पति रांची आए थे, तो उसने प्रतिवादी और उसके बच्चों को श्रीराम गार्डन में रहते हुए पाया था, लेकिन प्रतिवादी अमुश्री झा की उपस्थिति के बारे में उजाड़ और परेशान था। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया था जबकि याचिकाकर्ता को दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध विकसित करने की आदत थी। वर्तमान समय में याचिकाकर्ता अमुश्री झा के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहा है और उसने अमुश्री झा के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की है। ===जिरह में, उसने गवाही दी है कि शादी के समय याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति स्थिर नहीं थी।

उसे पता चला है कि शोमिला बनर्जी की शादी हो चुकी है। उसने याचिकाकर्ता और शोमिला बनर्जी को कभी एक साथ घूमते नहीं देखा था। उसने सुना है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के लिए तीन फ्लैट खरीदे हैं। वह नहीं जानती कि याचिकाकर्ता ने अमुश्री झा के साथ शादी की है या नहीं, लेकिन उसके पास सबूत है कि शादी किए बिना दोनों पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। उसने रंगीन तस्वीरों की कुछ फोटोकॉपी पेश की हैं जिन्हें आपत्ति के साथ जेड से जेड / याचिकाकर्ता ने खुद अमुश्री झा के साथ अपने संबंधों के बारे में स्वीकार किया था। उसने याचिकाकर्ता को कभी भी किसी महिला के साथ संबंध स्थापित करते नहीं देखा था, लेकिन याचिकाकर्ता ने खुद खुलासा किया था कि उसकी शारीरिक जरूरतें हैं जिन्हें प्रतिवादी पूरा नहीं कर सकता है।

17. **आर.डब्ल्यू 3 (तनवी मलिक)** याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की बेटी है, जिसने कहा है कि जब वह 7-8 महीने की थी, तो उसके पिता ने उसे उसके नाना के घर पर छोड़ दिया था ताकि उसकी मां सीटी स्कैन ऑपरेटर का प्रशिक्षण ले सके। उसने याचिकाकर्ता के कारण अपनी मां की नौकरी खत्म होने और याचिकाकर्ता और शोमिला बनर्जी की आसन्न शादी के साथ-साथ प्रतिवादी को अपने ससुराल वालों के हाथों अपमान का सामना करने के संबंध में आरडब्ल्यू 2 के बयानों को दोहराया है। तीसरे कंप्यूटर सेंटर के उद्घाटन के समय शोमिला बनर्जी आई थीं और वह रात में अपने घर पर रुकी थीं। उसने कभी भी प्रतिवादी को उत्तेजित और क्रोधित होते नहीं देखा था और दूसरी ओर याचिकाकर्ता अपने कर्मचारियों की उपस्थिति में प्रतिवादी का नीचा दिखाना और अपमानित करता था। उसके चाचा और चाची ने कभी मदद नहीं की और जब याचिकाकर्ता जेल में थी तो यह उसके नाना थे जिन्होंने याचिकाकर्ता को जेल से बाहर आने में मदद करने के लिए 20,000 रुपये दिए थे। याचिकाकर्ता हमेशा प्रतिवादी और उसके बच्चों के बारे में दूसरों से शिकायत करता था। याचिकाकर्ता ने कभी भी उसे या उसकी मां को किसी भी व्यावसायिक उद्यम में शामिल नहीं किया, लेकिन शोमिला बनर्जी को एसटीजी कंप्यूटर सेंटर में प्रबंधक का पद दिया गया और अमुश्री झा को पूजा शोपियां का निदेशक बनाया गया। याचिकाकर्ता पहले शोमिला बनर्जी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन वर्तमान में वह अमुश्री झा के साथ शादी करना चाहता है। जेवीएम श्यामली से कक्षा -12 वीं पास करने के बाद, वह सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची में पढ़ना चाहती थी, लेकिन याचिकाकर्ता उसे दिल्ली ले गया और उसे शहीद भगत सिंह कॉलेज में दाखिला दिलाया और उसके बाद उसे कोलकाता

ले जाया गया और सेंट जेवियर्स कॉलेज में भर्ती कराया गया, हालांकि वह रांची में बसना चाहती थी। उसकी छोटी बहन को भी जबरन एक शैक्षणिक संस्थान में भर्ती कराया गया ताकि प्रतिवादी उनके साथ कोलकाता में रहे और याचिकाकर्ता स्वतंत्र रूप से अमुश्री झा के साथ रांची में अपने जीवन का आनंद ले। उसने एक बार याचिकाकर्ता के ब्लैकबेरी मोबाइल में अपना फेसबुक अकाउंट खोलने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय याचिकाकर्ता का फेसबुक अकाउंट खुल गया और उसने शोमिला बनर्जी के साथ अपने पिता की चैट देखी। जब वे 'गृह प्रवेश' के बाद श्री राम गार्डन में रह रहे थे, तो उनकी छोटी बहन बीमार पड़ गई और इसका निदान पैराकार्डियक ब्रोंको निमोनिया के रूप में किया गया। डॉक्टर ने उसे आराम करने और स्कूल न जाने की सलाह दी थी। उसने कहा है कि एक दिन जब हर कोई अमुश्री झा के बारे में चर्चा कर रहा था, याचिकाकर्ता नाराज हो गया और उसने उसकी ओर एक लैपटॉप फेंक दिया, जो टूट गया और उसने पुलिस कार्रवाई की धमकी देते हुए उस पर जूते भी फेंके। जब वे नेस्ट अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे तो याचिकाकर्ता अक्सर उक्त अपार्टमेंट में आता था। कुछ दिनों के बाद याचिकाकर्ता अपना सिर मुंडवाकर नेस्ट अपार्टमेंट में आया और खुलासा किया कि उसने तिरुपति में अमुश्री झा के साथ शादी की है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली में एक फ्लैट भी ले लिया था जहां वह अमुश्री झा के साथ रहने लगा था। उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा कभी भी विदेशी दौरों पर नहीं ले जाया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता अपने साथ अमुश्री झा को यूएसए, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड आदि ले गया था, जहां दोनों पति-पत्नी के रूप में रुके थे। 12.12.2015 को उन्होंने श्री राम गार्डन में याचिकाकर्ता से मुलाकात की थी, जहां उसने याचिकाकर्ता और अमुश्री झा को बेडरूम में शराब पीते देखा था। याचिकाकर्ता ने अपनी छोटी बहन को बताया था कि अमुश्री झा उसकी मां हैं, जिस पर उसकी छोटी बहन जोर-जोर से रोने लगी। 30.08.2016 को, जब वे कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए श्रीराम गार्डन गए थे, तो उनकी मां (प्रतिवादी) को अमुश्री झा ने अपमानित किया था। जब भी वह याचिकाकर्ता से पैसे मांगती थी, तो उसने पैसे देने का वादा किया बशर्ते प्रतिवादी आपसी तलाक के लिए सहमत हो। याचिकाकर्ता को तलाक नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने अपनी पत्नी और बच्चों पर अत्याचार किया है जिससे उसकी और उसकी बहन की पढ़ाई प्रभावित हुई है।

जिरह में, उसने गवाही दी है कि उसे 1988 और 1999 के बीच हुई घटनाओं की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद उसने ऐसी घटनाओं को जानने के बारे में कहा है। शोमिला बनर्जी ने सौभिक से शादी की है और वह यूनाइटेड किंगडम में रहती हैं। उसने गवाही दी है कि याचिकाकर्ता अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखता था। उसकी शिक्षा और अन्य खर्च याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए 40,000/- रुपये के मासिक रखरखाव से पूरे किए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने उन्हें वह संपत्ति उपहार में दी थी जिसमें वह अपनी मां और बहन के साथ रहती है।

18. गवाहों के साक्ष्य से लैस, अब हम अतिरिक्त साक्ष्य के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पसंद किए गए आवेदन पर विचार करने का उद्यम करते हैं, जैसा कि 2019 के आईए नंबर 9370 में निहित है। 2019 के आईए नंबर 9370 में, यह कहा गया है कि प्रतिवादी और उसके गवाहों ने याचिकाकर्ता के अमुश्री झा के साथ अवैध संबंध होने के बारे में लगातार खुलासा किया है और इस तरह के आरोपों को साबित करने के लिए प्रतिवादी ने अमुश्री झा की कुछ अश्लील तस्वीरें और याचिकाकर्ता की कुछ अंतरंग तस्वीरें अमुश्री झा के साथ दायर की हैं। जब अमुश्री झा को उक्त तथ्य के बारे में पता चला, तो उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत मामला दर्ज किया था, जिसे शिकायत मामला संख्या 2909/2017 के रूप में दर्ज किया गया है और जांच किए जाने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 501/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया था, जिसे सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए और 43 (बी) के साथ पढ़ा गया था। नंदिनी मलिक (प्रतिवादी) और इंद्राणी बसु के खिलाफ 2000 का मामला दर्ज किया गया। उक्त आरोपी व्यक्तियों ने एबीपी संख्या 561/2019 के रूप में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे मध्यस्थ को भेजा गया था जहां नंदिनी मलिक और तनवी मलिक पेश हुए थे और उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके पास तस्वीरों का मूल स्रोत नहीं है और उन्होंने मुकदमे में अपने साक्ष्य में अपने कृत्य पर खेद भी व्यक्त किया है। यह कहा गया है कि इस तरह के झूठे आरोप याचिकाकर्ता पर की गई क्रूरता के बराबर हैं। याचिकाकर्ता अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से रखरखाव केस संख्या 150/2017 में पारित दिनांक 27.03.2018 की मेडिटेशन रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में लाना चाहता है। याचिकाकर्ता बैंक से प्रासंगिक प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर लाने के लिए भी इच्छुक

है जो प्रतिवादी के पक्ष में बड़ी राशि के हस्तांतरण का संकेत देगा ताकि वह सामान्य जीवन जी सके।

19. अन्तरवर्ती आवेदन संख्या 9370 / 2019 के लिए एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पेश किए जाने वाले साक्ष्य और तथ्य प्रथम अपील में इस मुद्दे के लिए अप्रासंगिक और गैर-प्रासंगिक हैं। यह कहा गया है कि मध्यस्थता को सबूत के रूप में नेतृत्व नहीं किया जा सकता है, तब कोई भी पक्ष विवादित मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श नहीं करेगा, इस डर से कि कथित तौर पर एक या दूसरी बात स्वीकार कर ली गई है।

20. अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आरएस मजूमदार द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए जाने वाले दस्तावेज प्रासंगिक और मौलिक प्रकृति के हैं क्योंकि उक्त दस्तावेज अपीलीय अदालत को निर्णय सुनाने और न्याय के कारण को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। अमुश्री झा द्वारा स्थापित शिकायत मामले में मध्यस्थ की रिपोर्ट से प्रतिवादी और उनकी बेटी तन्वी मलिक द्वारा एक पावती का पता चलता है कि उनके पास याचिकाकर्ता और डॉ अमुश्री झा की अंतरंग तस्वीरों का मूल स्रोत नहीं है और हालांकि उक्त समझौते पर कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि इंद्राणी बसु जो आरोपियों में से एक थीं, ने मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था, लेकिन यह स्वयं नहीं होगा प्रतिवादी और तन्वी मलिक के प्रवेश की विश्वसनीयता को दूर करें। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट में, प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वह और याचिकाकर्ता 2012 से अलग रह रहे हैं जो अपने आप में शादी के असुधार्य टूटने का संकेत देता है।

21. श्री पांडे नीरज राय, प्रतिवादी के लिए पेश होने वाले विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में असमर्थ रहा है कि निर्णय सुनाने के लिए अदालत द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में शामिल किए जाने वाले दस्तावेजों की आवश्यकता कैसे है। याचिकाकर्ता उसी के प्रति अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्य अपीलीय न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं हैं क्योंकि अतिरिक्त सामग्रियों पर विचार किए बिना उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर निर्णय सुनाने में अदालत को कोई असमर्थता नहीं है। जहां तक तस्वीरों का संबंध है,

विद्वान ट्रायल कोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 पर भरोसा किया है, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विवेक है क्योंकि क़ानून परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के आधार पर इसे प्रदान करता है लेकिन परिवार न्यायालयों को कोई भी सबूत, कोई भी दस्तावेज या मामला प्राप्त करने की अनुमति देता है जो अन्यथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रासंगिक और स्वीकार्य नहीं हो सकता है। जहां तक भरण-पोषण मामला संख्या 150/2017 में मध्यस्थता रिपोर्ट दिनांक 27.03.2018 का संबंध है, यह केवल पत्नी के लिए स्थायी गुजारा भत्ता और बेटी के रखरखाव के रूप में दिए गए धन/संपत्ति को स्वीकार करता है। आपसी समझौते में पार्टियों की मंशा स्पष्ट है और संपत्तियों के हस्तांतरण या हलफनामा देने को क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 2012 से अलग रहने वाले पक्ष परित्याग का गठन नहीं करते हैं क्योंकि परित्याग बिना किसी उचित कारण के दूसरे द्वारा पति या पत्नी के परित्याग का संकेत देगा। जहां तक बैंक लेन-देन का संबंध है, वही इस बात की गवाही देता है कि पति ने अपनी सहमति से पत्नी के लिए क्या किया है। श्री राय ने आगे कहा है कि शक्ति का अस्तित्व एक बात है और परिस्थितियों का अस्तित्व शक्ति के प्रयोग को न्यायोचित ठहराना दूसरी बात है।

22. दोनों विद्वान वकीलों ने हमें मामले के गुण-दोष के आधार पर भी संबोधित किया है, जिसे हमारे द्वारा भी निपटाया जाएगा।

23. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XLI नियम 27 इस प्रकार है:

27. अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना--(1) अपील के पक्षकार अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे। लेकिन अगर-

(a) न्यायालय जिसकी डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी जाती है, ने उन सबूतों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए था, या

1[(aa) अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग करने वाली पार्टी, यह स्थापित करती है कि उचित परिश्रम के अभ्यास के बावजूद, इस तरह के सबूत उसके ज्ञान में नहीं थे या नहीं कर सकते थे, उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद,

(b) अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने में समर्थ बनाने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी गवाह की परीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है, या किसी अन्य सारवान कारण के लिए, अपीलीय न्यायालय ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने या गवाह की परीक्षा करने की अनुमति दे सकेगा।

(2) जब कभी किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है तब न्यायालय उसके प्रवेश के कारण को अभिलिखित करेगा।

24. अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तावित दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऐसे दस्तावेज न्यायालय को निर्णय सुनाने में सक्षम बनाएंगे। इसलिए, हमें उक्त दस्तावेजों की सामग्री से उनकी स्वीकार्यता और/या विश्वसनीयता और प्रासंगिकता के बारे में अनुमान लगाना होगा, यदि न्यायालय को निर्णय की घोषणा में सक्षम बनाने के लिए।

25. अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश किया जाने वाला पहला दस्तावेज 12.06.2019 की मध्यस्थता रिपोर्ट है, जिसे एक तरफ अमुश्री झा और दूसरी तरफ नंदिनी मलिक और तनवी मलिक के बीच एबीपी नंबर 561/2019 में दर्ज किया गया था, जो 2017 के शिकायत केस नंबर 2909 से उत्पन्न हुआ था, जिसकी सामग्री इस प्रकार है:

"इस वाद का संक्षिप्त विवरण यह है की प्रथम पक्ष के द्वारा वाद संख्या एम.टी.एस. 522/2015 मैं द्वितीय पक्ष का फोटोग्राफ साक्ष्य के साथ में समर्पित किए जाने के कारण उत्पन्न विवाद से संबंधित उपरोक्त विवाद माननीय न्यायालय में लंबित है। जिसमे फोटो मोबाइल द्वारा निकाला गया था।

दोनों पक्षों से संयुक्त सत्र एवं एकल सत्र में बातचीत करने के पश्चात अब दोनों पक्ष निम्नलिखित बिंदुओं पर आपस में समझौता करने को तैयार हुए -

1. *यह की उभय पक्षों के बीच आपसी बातचीत संबंधी आपसी सहमति से अपने पूर्व के सभी विवादों को हल करने के लिए सहमत हैं।*

2. यह की प्रथम पक्ष के लोगों द्वारा वाद संख्या एम.टी.एस., 522/2015 में द्वितीय पक्ष का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में न्यायालय में समर्पित किया गया था, जिसके कारण अगर द्वितीय पक्ष को। किसी भी प्रकार की वेदना या कष्ट अथवा क्षति हुई है तो इसके लिए प्रथम पक्ष के सदस्य दुखी हैं तथा द्वितीय पक्ष के क्षमाप्रार्थी हैं।

3. यह की प्रथम पक्ष के पास उपरोक्त लेखित फोटोग्राफ का ओरिजिनल सोर्स नहीं है।

4. यह कि इस समझौते के अनुसार भविष्य में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का कोई फोटोग्राफ या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नाम का यूज़ बिना द्वितीय पक्ष के लिखित अनुमति के नहीं करेंगे। अगर ऐसा करना आवश्यक होगा तो प्रथम पक्ष इस कार्य के लिए द्वितीय पक्ष से लिखित अनुमति लेंगे।

5. यह कि भविष्य में कोई भी पक्ष इस केस से संबंधित बातों को पेश कर एक दूसरे पर पुन केस नहीं करेंगे।

6. यहाँ की उभय पक्ष आपस में मिलकर उपरोक्त वाद को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे।"

26. ऊपर उद्धृत मध्यस्थता रिपोर्ट में उल्लिखित तस्वीरें याचिकाकर्ता और अमुश्री झा के बीच अंतरंगता से संबंधित हैं और वे तस्वीरें फोटोकॉपी हैं। रिकॉर्ड पर लाया जाने वाला दूसरा दस्तावेज रखरखाव केस संख्या 150/2017 के संबंध में दिनांक 27.03.2018 की एक और मध्यस्थता रिपोर्ट है और उसी बैंक स्टेटमेंट के संबंध में भी पेश करने की मांग की गई है। मध्यस्थता रिपोर्ट दिनांक 27.03.2018 यहां उद्धृत की गई है:-

यह की मध्यस्थता केंद्र पर निम्नलिखित शर्तों पर प्रथम पक्ष सुलह हुआ है। -

1. यहाँ की प्रथम पक्ष ने एक गुजाराभत्ता (भरण पोषण) का केस किया एवं द्वितीय पक्ष एक तलाक का केस प्रथम पक्ष के विरुद्ध किया है। तलाक का केस अभी हाईकोर्ट में लंबित है।

2. *यह की गुजारा भत्ता (भरण पोषण) का केस में अंतरिम आदेश पर हाईकोर्ट में चुनौती दिया है, जिसमें प्रथम पक्ष भी हाजिर हों गयें है।*

3. *यह की द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को एकमुश्त पैसा। 85,00,000। रुपया देगा और इस 85,00,000 में से 25,00,000। रुपया पक्ष। नंदिनी मल्लिक को एकमुश्त खर्चा व परमानेंट। ऐलिमनी। देगा और रुपए 30,00,000। रुपये तनवी मालिक को। और ₹30,00,000। तमन्ना मलिक को देगा। तनवी एवं तमन्ना का पैसा भी नंदिनी मल्लिक को दे दिया जाएगा। वो बच्चो का पैसा अपनी मर्जी से खर्च करेगी। उक्त ₹85,00,000 द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को। तीन महीने के अंदर देगा। इस पैसे के अलावा द्वितीय पक्ष ने पहले भी पैसा दिया था जिसमें 65,00,000। रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट किया। आर तलाक के केस में भी सेक्शन 24 एचएम एक्ट में। प्रति माह दिया। जब तक कुटुम्ब न्यायालय में यहाँ केस लंबित था। प्रथम पक्ष इस केस में अब तक 1.50 लाख दिया है। इसके अलावा द्वितीय पक्ष को चार फ्लैट दिया है, जो कि तीन फ्लैट में से दो फ्लैट साउथ ऑफिस पाड़ा, फ्लैट नंबर 101, 103 डोरंडा में स्थित है, जबकि तीसरा फ्लैट 305। पुष्पांजलि अपार्टमेंट में है डोरंडा रांची। जबकि चौथा फ्लैट डी के एसोसिएशन पश्चिम बंगाल में है। यह मरम्मत का काम द्वितीय पक्ष, तीन फ्लैटों का दो डोरंडा नंबर 101 एवं 103 और एक पश्चिम बंगाल डी के एसोसियन वाला का करा देगा। इसके अलावा दुतीय पक्ष एक 6,00,000 की रेंज की एक कार नंदिनी मल्लिक को उसके नाम पर ले कर देगा।*

यह कि प्रथम पक्ष नंदिनी मल्लिक एवं द्वितीय पक्ष तापस मलिका विवाह 16 फरवरी 1993 को हुआ था। इस विवाह से दो बेटी तनवी मलिक और तमन्ना मलिक है। तन्वी की उम्र 23 वर्ष है और तमन्ना की उम्र 9 साल की है। दोनों बच्चे अपनी माँ नंदिनी मल्लिक के साथ रहती है और रहेंगी, जबकि द्वितीय पक्ष महीने में 1 दिन और खास अवसरों पर जाकर अपने दोनों बच्चों से मिल सकते हैं। नंदिनी मल्लिक एवं तापस मलिक 2012 से अलग अलग रह रहे हैं।

यह की द्वितीय पक्ष दोनों बेटियों अगर ऊंचे एवं बेहतर शिक्षा पढ़ना चाहे तो द्वितीय पक्ष उन दोनों बेटियों को पढ़ाएगा एवं उसका खर्चा भी उठाएगा।

यह की प्रथम पक्ष इसके बाद द्वितीय पक्ष पर कोई उसके चल अचल संपत्ति पर भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेंगे, न ही एक दूसरे के जीवन में कोई हस्तक्षेप या दखल नहीं देंगे।

यह की उपरोक्त प्रकार का दावा यह हस्तक्षेप यदि कोई खड़ा किया जाता है तो वह अवैध होगा।

यह की प्रथम पक्ष आज के बाद से किसी भी प्रकार का खर्चा, भत्ता या गुजारे के लिए कोई रकम अथवा परमानेंट ऐलिमनी नहीं मांग सकता न ही द्वितीय पक्ष को इसके लिए बाध्य करेगा?

यह कि इसे संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई केस प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष पर नहीं करेगा।

यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को एकमुश्त भरण पोषण जीवन निर्वाह परमानेंट ऐलिमनी। वह बेटियों के पढ़ने, लिखने तथा मैरिज़ का भी खर्चा दे दिया है।

यह की द्वितीय पक्ष का पूरा पैसा प्रथम पक्ष नंदिनी मल्लिक को देगा एवं नंदिनी मल्लिक अपनी बेटियों या अपने नाम से जमा करेगी। यह की प्रथम पक्ष फ्लैट नंबर दो तनवी मलिक जो व्यस्क है और आज कोर्ट में अपनी माँ नंदिनी मल्लिक एवं अपनी छोटी बहन तमन्ना मलिक के साथ हाजिर हैं एवं मध्यस्थता के समय बैठी हुई थी। एवं पूरी बात को नंदिनी मल्लिक के साथ सुना और समझा एवं भविष्य में तापस मलिक पर प्रथम पक्ष कोई मुकदमा नहीं करेंगे। चाहे वह दीवानी या फौजदारी हो जिससे द्वितीय पक्ष को कोई चल अचल संपत्ति का नुकसान ना हो। या व्यक्तिगत जीवन संबंधी कोई केस नहीं करेंगे।

नंदिनी मल्लिक अपनी छोटी बेटी तमन्ना मलिक नाबालिग है, उसके तरफ से वचन देती है की तमन्ना मालिक बालिग होकर द्वितीय पक्ष तापस मलिक पर कोई भी दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं करेगी। जिससे दीतिय पक्ष को चल अचल संपत्ति का नुकसान हो।

यह की उपयुक्त शर्तों के अनुसार प्रथम पक्ष भरण पोषण का बाद वापस लेंगे एवं जो अंतरिम आदेश जो 65,000 का है, वह भी आज से समाप्त होगा और कोई बकाया अब नहीं रहेगा।

यह की द्वितीय पक्ष अंतरिम आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। उसे प्रथम पक्ष के सहयोग से वापस लेगा, जिसमें प्रथम पक्ष सहयोग करेंगे।

यह की यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा अपनी मर्जी से बिना किसी व्यय दबाव के किया गया है एवं दोनों पक्ष इस समझौते को मानने के लिए बाध्य होंगे। इस का उल्लंघन नहीं कर सकते।

यह की इन शर्तों को मानते हुए पढ़ एवं समझकर दोनों पक्षों ने अपना अपना हस्ताक्षर कर दिया एवं अपना हस्ताक्षर मध्यस्थता केंद्र सिविल कोर्ट रांची में अपनी मर्जी से दोनों पक्षों ने ओके किया।"

27. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों को विच्छेदित करने से पहले, हमें सीपीसी के आदेश XLI नियम 27 से संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करना चाहिए।

28. **(2012) 8 एससीसी 148 में रिपोर्ट किए गए "भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन"** के मामले में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

*"**49.** सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन पर अपील की सुनवाई के समय गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दस्तावेजों और/या पेश किए जाने वाले सबूतों में शामिल मुद्दों पर कोई प्रासंगिक/असर है या नहीं। अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकार्यता इस मुद्दे की प्रासंगिकता पर निर्भर नहीं करती है, या इस तथ्य पर निर्भर नहीं करती है कि आवेदक के पास पहले चरण में इस तरह के साक्ष्य को पेश करने का अवसर था या नहीं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपीलीय अदालत को निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए मांगे गए साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं। इसलिए, असली परीक्षा यह है कि क्या अपीलीय अदालत अतिरिक्त सबूतों पर*

*विचार किए बिना अपने समक्ष सामग्री पर निर्णय सुनाने में सक्षम है। ऐसा अवसर केवल तभी उत्पन्न होगा जब साक्ष्य की जांच करने पर, जैसा कि यह खड़ा है, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अदालत के लिए कुछ अंतर्निहित कमी या दोष स्पष्ट हो जाता है। (**अर्जन सिंह बनाम करतार सिंह और नाथा सिंह बनाम वित्तीय आयोग, कराधान)***

***52**. इस प्रकार, ऊपर से, यह क्रिस्टल स्पष्ट है कि एक अपीलीय चरण में रिकॉर्ड पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए एक आवेदन, भले ही अपील की पेंडेंसी के दौरान दायर किया गया हो, अपील की अंतिम सुनवाई के समय एक चरण में सुना जाना है जब रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना करने के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अतिरिक्त साक्ष्य को घोषित करने के लिए रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था निर्णय या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए। यदि रिकॉर्ड पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने के आवेदन पर विचार किया गया है और अपील की सुनवाई से पहले अनुमति दी गई है, तो आदेश पूरी तरह से और पूरी तरह से दिमाग के गैर-आवेदन का उत्पाद है, कि क्या इस तरह के साक्ष्य को निर्णय सुनाने के लिए रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है या नहीं, अप्रासंगिक / निष्पादन योग्य है और इसे अनदेखा किया जा सकता है।"*

29. (**2015) 17 एससीसी 713 में रिपोर्ट किए गए "ए. एंडिसामी चेट्टियार बनाम ए. सुब्बुराज चेट्टियार**" में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

*"**12**. नियम 27 के उप-नियम (1) के शुरुआती शब्दों से, ऊपर उद्धृत, यह स्पष्ट है कि पक्षकार अपीलीय अदालत में मौखिक या दस्तावेजी अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के हकदार नहीं हैं, लेकिन ऊपर वर्णित तीन स्थितियों के लिए। पक्षकारों को अपीलीय स्तर पर कमियों को भरने की अनुमति नहीं है। यह संहिता की भावना के खिलाफ है कि किसी पक्ष को नियम 27 में उल्लिखित तीन शर्तों में से किसी को भी पूरा किए बिना अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। इस मामले में, दस्तावेज़ (एक्सटेंशन ए -4) की वैज्ञानिक जांच की मांग करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया गया था, और न ही यह कहा जा सकता है कि वादी उचित परिश्रम के साथ इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित*

नहीं कर सकता था ताकि उसके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को साबित किया जा सके। अब यह देखा जाना है कि नियम 27 के उप-नियम (1) के खंड (बी) में निहित तीसरी शर्त यानी एक पूरी होती है या नहीं।

13. के. आर मोहन रेड्डी बनाम नेट वर्क इंक में इस न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है: *(एससीसी पृष्ठ 261, पैरा 19) "19. अपीलीय अदालत को ऐसा आदेश पारित नहीं करना चाहिए जिससे निचली अदालत के समक्ष असफल पक्ष के साक्ष्य की कमजोरी को दूर किया जा सके, लेकिन यह अलग होगा यदि अदालत को स्वयं पक्षों के बीच न्याय करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता हो। निर्णय सुनाने की क्षमता को अदालत के दिमाग में संतोषजनक ढंग से निर्णय सुनाने की क्षमता के रूप में समझा जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए केवल कठिनाई पर्याप्त नहीं है।*

14. पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन में। बनाम भगवान दास इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा: (एससीसी पीपी 515- 16, पैरा 13)

"13. हालांकि सामान्य नियम यह है कि आमतौर पर अपीलीय अदालत को निचली अदालत के रिकॉर्ड से बाहर नहीं जाना चाहिए और अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक या दस्तावेजी स्वीकार नहीं किया गया हो, लेकिन धारा 107 सीपीसी जो सामान्य नियम के अपवाद को बनाती है, अपीलीय अदालत को अतिरिक्त साक्ष्य लेने या ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन ऐसे साक्ष्य की आवश्यकता करने में सक्षम बनाती है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। ये शर्तें सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत निर्धारित की गई हैं। फिर भी, अतिरिक्त साक्ष्य को केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उक्त नियम में निर्धारित परिस्थितियां मौजूद पाई जाती हैं।

15. एन. कमलम बनाम अय्यासामी *इस न्यायालय ने संहिता के आदेश 41 के नियम 27 की व्याख्या करते हुए, पैरा 19 में निम्नानुसार टिप्पणी की है: (एससीसी पृष्ठ 514) "19. ... आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों को संहिता में शामिल नहीं किया गया है ताकि मामले में कमजोर बिंदुओं को ठीक किया जा सके और अपील*

की अदालत में चूक को भरा जा सके - यह भरे जाने वाले साक्ष्य में किसी भी कमी या अंतराल को अधिकृत नहीं करता है। अपीलीय अदालत को नए साक्ष्य देने के लिए प्रदत्त अधिकार और अधिकार क्षेत्र एक विशेष तरीके से निर्णय की घोषणा के उद्देश्य तक ही सीमित है।

***16. भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन** में इस न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है: (एससीसी पृष्ठ 171, पैरा 49) "49. सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन पर अपील की सुनवाई के समय गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दस्तावेजों और/या पेश किए जाने वाले साक्ष्य की संबंधित मुद्दों पर कोई प्रासंगिकता/असर है या नहीं। अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकार्यता इस मुद्दे की प्रासंगिकता पर निर्भर नहीं करती है, या इस तथ्य पर निर्भर नहीं करती है कि आवेदक के पास पहले चरण में इस तरह के साक्ष्य को पेश करने का अवसर था या नहीं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपीलीय अदालत को निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए मांगे गए साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं। इसलिए, असली परीक्षा यह है कि क्या अपीलीय अदालत अतिरिक्त सबूतों पर विचार किए बिना अपने समक्ष सामग्री पर निर्णय सुनाने में सक्षम है।"*

30. (2022) 7 एससीसी 247 में रिपोर्ट किए गए **"संजय कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य"** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले में, जिसने **"ए. एंडिसामी चेट्टियार बनाम ए. सुब्बुराज चेट्टियार" (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को मंजूरी दी है:

"8. जैसा कि ए. एंडिसामी चेट्टियार बनाम ए. सुब्बुराज चेट्टियार में इस न्यायालय द्वारा देखा और आयोजित किया गया है, अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकार्यता इस मुद्दे की प्रासंगिकता पर निर्भर नहीं करती है, या इस तथ्य पर निर्भर नहीं करती है कि आवेदक के पास पहले चरण में इस तरह के साक्ष्य को जोड़ने का अवसर था या नहीं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपीलीय अदालत को निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए मांगे गए साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए। आगे यह देखा गया है कि इसलिए

असली परीक्षा यह है कि क्या अपीलीय अदालत अतिरिक्त सबूतों पर विचार किए बिना अपने समक्ष सामग्री पर निर्णय सुनाने में सक्षम है।

31. **1992 सप्प (2) एससीसी 623 में रिपोर्ट किए गए "रमेश कुमार बनाम केशो राम"** के मामले में, यह इस प्रकार आयोजित किया गया है:

*"**6**. सामान्य नियम यह है कि किसी भी मुकदमेबाजी में पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों पर निर्णय लिया जाता है क्योंकि वे लिस के प्रारंभ में प्राप्त करते हैं। लेकिन यह एक अपवाद के अधीन है। जहां भी तथ्य या कानून की बाद की घटनाएं होती हैं, जिनका राहत के लिए पार्टियों के अधिकार पर या राहत के ढलने पर असर डालने वाले पहलुओं पर कोई सामग्री होती है, अदालत को राहत को ढालने के लिए तथ्य और कानून के बाद के परिवर्तनों का 'सतर्क संज्ञान' लेने से नहीं रोका जाता है। लचमेश्वर प्रसाद शुकुल बनाम केश्वर लाल चौधरी [एआईआर 1941 एफसी 5: 73 सीएलजे 51: 53 एमएलडब्ल्यू 373] में मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वायर ने कहा: (एआईआर पृष्ठ 6)*

"लेकिन, इस सवाल के संबंध में कि क्या अदालत विधायी परिवर्तनों को ध्यान में रखने का हकदार है क्योंकि अपील के तहत निर्णय दिया गया था, मैं यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया नियम वही है जो मैं इस न्यायालय के सभी तीन सदस्यों की सराहना करता है। में पैटरसन वी। अलबामा राज्य [(1934) 294 यूएस 600], ह्यूजेस सीजे ने कहा:

'हमने अक्सर माना है कि हमारे अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हमारे पास न केवल समीक्षा के तहत निर्णय में त्रुटि को ठीक करने की शक्ति है, बल्कि न्याय की आवश्यकता के अनुसार मामले का ऐसा निपटान करने की शक्ति है। और यह निर्धारित करने में कि न्याय की क्या आवश्यकता है, अदालत किसी भी बदलाव पर विचार करने के लिए बाध्य है, या तो वास्तव में या कानून में, जो निर्णय दर्ज किए जाने के बाद से पर्यवेक्षण कर रहा है। और पसुपुलेटी वेंकटेश्वरलू वी। मोटर एंड जनरल ट्रेडर्स [(1975) 1 एससीसी 770: (1975) 3 एससीआर 958] न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 772, पैरा 4)

"हम महसूस करते हैं कि प्रस्तुतियाँ पदार्थ से रहित हैं। पहला, कार्यवाहियां शुरू होने के बाद अस्तित्व में आने वाली परिस्थितियों की तुलना में क्षेत्राधिकार और औचित्य के बारे में। यह हमारे प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र के लिए बुनियादी है कि राहत के अधिकार को उस तारीख के रूप में मौजूद माना जाना चाहिए जब एक मुकदमा दायर करने वाला कानूनी कार्यवाही शुरू करता है। समान रूप से स्पष्ट सिद्धांत है कि प्रक्रिया हैंडमेड है और न्यायिक प्रक्रिया की मालकिन नहीं है। यदि कोई तथ्य, जो अदालत में आने के बाद उत्पन्न होता है और राहत के अधिकार या इसे ढालने के तरीके पर मौलिक प्रभाव डालता है, को ट्रिब्यूनल के ध्यान में लाया जाता है, तो यह उस पर पलक नहीं झपका सकता है या उन घटनाओं के प्रति अंधा नहीं हो सकता है जो डिक्रीटल उपाय को अशक्त या अयोग्य बनाती हैं। इक्विटी प्रक्रिया के नियमों को झुकाने को सही ठहराती है, जहां पर्याप्त न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई विशिष्ट प्रावधान या निष्पक्ष खेल का उल्लंघन नहीं किया जाता है - विषय, निश्चित रूप से, अन्य विघटनकारी कारकों या सिर्फ परिस्थितियों की अनुपस्थिति के लिए। न ही हम इस शक्ति पर किसी सीमा पर विचार कर सकते हैं कि इसे ट्रायल कोर्ट तक सीमित करने के लिए अद्यतन तथ्यों पर ध्यान दिया जाए। यदि मुकदमेबाजी लंबित है, तो शक्ति मौजूद है, अनुपस्थित अन्य विशेष परिस्थितियों में कानून या न्याय में उस पाठ्यक्रम का सहारा लेते हैं। इस बिंदु पर निर्णय लीजन हैं, यहां तक कि इस न्यायसंगत नियम के अनुप्रयोगों के लिए स्थितियां असंख्य हैं।

*इन सिद्धांतों को तब से **हसमत राय बनाम रघुनाथ प्रसाद [(1981) 3 एससीसी 103: (1981) 3 एससीआर 605]** में दोहराया और दोहराया गया है।"*

32. परीक्षण, इसलिए, जो लागू किया जाना है वह यह है कि क्या अतिरिक्त साक्ष्य के मद्देनजर जिसे पेश करने की मांग की गई है या इसकी अनुपस्थिति अपीलीय अदालत को निर्णय सुनाने में सक्षम बनाएगी या नहीं। अपीलीय न्यायालय द्वारा "सतर्क संज्ञान" लिया जा सकता है यदि बाद की घटनाओं का पक्षकारों की पात्रता पर असर पड़ता है या जिसके आधार पर राहतों को ढाला जा सकता है जैसा कि "रमेश कुमार" में आयोजित किया गया है बनाम केशो राम" (सुप्रा)।

33. दिनांक 12.06.2019 की मध्यस्थता रिपोर्ट में नंदिनी मलिक (प्रतिवादी) और तन्वी मलिक द्वारा अमुश्री झा और याचिकाकर्ता की तस्वीरों के बारे में इस आशय की स्वीकारोक्ति है कि फोटोकॉपी मूल तस्वीरों से नहीं ली गई हैं और दोनों ने अपनी कार्रवाई पर खेद भी व्यक्त किया है। साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष होने वाली कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं होगा जो कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 14 में सन्निहित है। बाद की घटनाओं के रूप में 12.06.2019 की मध्यस्थता रिपोर्ट से प्रकट होगा, अपील में कोई असर नहीं होगा और विशेष रूप से तब जब आरोपियों में से एक इंद्राणी बसु ने उक्त कार्यवाही में भाग भी नहीं लिया। परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के अलावा, जो बात सामने आएगी वह यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी और उसके गवाहों द्वारा पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बिंदु पर कोई जिरह नहीं की गई थी और जिसे दिनांक के आक्षेपित निर्णय में भी नोट किया गया है 12.06.2017. दिनांक 12.06.2019 की मध्यस्थता रिपोर्ट को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मानना सीपीसी के आदेश XLI नियम 27 के अवयवों को गलत साबित करेगा।

34. 27.03.2018 की अन्य मेडिटेशन रिपोर्ट और याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को किए गए भुगतान से संबंधित बैंक के कुछ प्रमाण पत्र आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि वे मूल रूप से एक ही लेनदेन तक ही सीमित हैं। 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से को इसके अनुवादित संस्करण में उद्धृत किया गया है:

> *"**3**. दूसरा पक्ष 85,00,000 रुपये (85 लाख) के पहले पक्ष को एकमुश्त निपटान के रूप में भुगतान करेगा और इसमें से 85,00,000 रुपये नंदिनी मलिक को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 25,00,000 रुपये (25 लाख) देगा, तनवी मलिक को 30,00,000 रुपये (30 लाख) और तमन्ना मलिक को 30,00,000 रुपये (30 लाख) दिया जाएगा। बच्चों के लिए निर्धारित राशि का भुगतान भी नंदिनी मल्लिक को किया जाएगा और वह अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों के पैसे खर्च करेगी। 85,00,000 रुपये की राशि दूसरी पार्टी द्वारा पहली पार्टी को तीन महीने के भीतर दी जाएगी।*

इस राशि के अलावा दूसरे पक्ष ने 65,00,000 रुपये की राशि दी थी जो निश्चित जमा की गई थी और तलाक के मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत परिवार न्यायालय के समक्ष मामले की पेंडेंसी के दौरान 40,000 रुपये प्रति माह थे। वर्तमान मामले में 1,50,000 रुपये की राशि दी गई है। दूसरी पार्टी ने पहले पक्ष को चार फ्लैट भी दिए हैं, जिनमें से दो फ्लैट नंबर 101 और 103 साउथ ऑफिस पारा, डोरंडा में स्थित हैं, जबकि तीसरा फ्लैट नंबर 305 पुस्पांजलि अपार्टमेंट, डोरंडा, रांची में स्थित है। चौथा फ्लैट, डीके एसोसिएट्स पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है

यदि दूसरी पार्टी की बेटियां उच्च अध्ययन में रुचि रखती हैं, तो दूसरी पार्टी ऐसे सभी खर्चों को वहन करने के लिए तैयार है जो खर्च किए जाने हैं। प्रथम पक्षकार, दूसरे पक्ष की चल/अचल संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेगा और भविष्य में कोई भी दावा नहीं करेगा और कोई भी पक्ष एक-दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

पहली पार्टी अपने रखरखाव के लिए किसी भी खर्च या दूसरे पक्ष से स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में किसी भी राशि का दावा नहीं करेगी और न ही दूसरे पक्ष पर इस तरह के भुगतान के लिए दबाव डाला जाएगा।

दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष को उसके भरण-पोषण के लिए स्थायी गुजारा भत्ता और बेटियों की पढ़ाई और शादी का खर्च दिया है।"

ध्यान रहे कि प्रथम पक्ष नंदिनी मलिक (प्रतिवादी), तन्वी मलिक और तमन्ना मलिक थे जबकि द्वितीय पक्ष तापस मलिक (याचिकाकर्ता) थे।

35. जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, दिनांक 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट के नियमों और शर्तों का अनुपालन किया गया है और न तो प्रतिवादी द्वारा 2019 के आईए संख्या 9370 के प्रतिवाद में दायर जवाबी हलफनामे में और न ही प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा दी गई प्रस्तुतियों में इस तथ्य का खंडन किया गया है।

36. याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के साथ अपने विवाह को भंग करने के लिए जो मुकदमा पसंद किया गया है, वह मुख्य रूप से क्रूरता और परित्याग के आधार पर आधारित है।

क्रूरता का मुद्दा जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा नकार दिया गया है, उसे 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मजूमदार के अनुसार फिर से शुरू किया गया है और प्रबलित किया गया है। मध्यस्थता रिपोर्ट दिनांक 27.03.2018 याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी और उसकी बेटियों द्वारा शुरू किए गए रखरखाव के एक मामले से उत्पन्न हुई। यह 2014 के मूल सूट (एमटीएस) संख्या 522 में पारित निर्णय के वितरण के बाद था। मुकदमे में, याचिकाकर्ता (पीडब्ल्यू 1) का साक्ष्य प्रतिवादी के नाम पर खरीदे गए फ्लैटों के बारे में दावों से भरा हुआ है, इस तथ्य का समर्थन उसके अन्य गवाहों द्वारा किया गया है और विचाराधीन मध्यस्थता रिपोर्ट इस तरह के तर्कों को विश्वसनीय बनाती है। 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट के नियमों और शर्तों ने कई अवसरों पर "स्थायी गुजारा भत्ता" शब्द का उल्लेख किया है। इस तरह के समझौते पर पहुंचने में पक्षकारों के इरादे पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए न कि एक अलग दृष्टिकोण पर। हमें इस तरह के विवाद को मोटे तौर पर समझना चाहिए क्योंकि एक संकीर्ण व्याख्या उस उद्देश्य को लड़खड़ा देगी जिसके लिए ऐसी शर्तों पर सहमति हुई थी। भरण-पोषण के मामले में दोनों पक्षों द्वारा सहमत निबंधन और शर्तों का उद्देश्यपूर्ण निर्माण ऐसे समळौते के पीछे उद्देश्यों के स्पेक्ट्रम को व्यापक करेगा। 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट में यह नोट किया गया है कि दूसरे पक्ष (याचिकाकर्ता) पर दिया गया जनादेश एकमुश्त निपटान के माध्यम से है और "स्थायी गुजारा भत्ता" के माध्यम से है। समझौते से एक समझ का पता चलता है कि जिस पर सहमति हुई है, उससे कम या कुछ भी नहीं होगा। विवाह को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी कारक उस प्रभाव के किसी विशिष्ट कथन के बिना समझौते में मौजूद हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में "स्थायी गुजारा भत्ता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में "गुजारा भत्ता" को "कानूनी अलगाव या तलाक के बाद लंबित या बाद में समर्थन के लिए एक पति या पत्नी को दूसरे द्वारा किए गए भत्ते" के रूप में परिभाषित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 में विवाह के लिए किसी भी पक्ष द्वारा लाए गए मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अंतरिम रखरखाव की बात कही गई है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 "स्थायी गुजारा भत्ता" से संबंधित है, जिसे अदालत डिक्री पारित करते समय या उसके बाद भी आदेश दे सकती है। इसलिए, दूसरे पति या पत्नी को जो भत्ता

दिया जाता है, वह केवल न्यायिक अलगाव या तलाक के मामले में स्थायी प्रकृति का मान लेता है। क्या उन मामलों में स्थायी गुजारा भत्ता दिया जा सकता है जहां पीड़ित पक्ष की वैवाहिक स्थिति प्रभावित या बाधित हुई है, (1993) 3 एससीसी 406 में रिपोर्ट किए गए **"श्रीमती चंद धवन बनाम जवाहरलाल धवन"** के मामले में विचार के लिए आया था, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> *"25. इस प्रकार, इस आलोक में, हमें यह विचार करने में कोई संकोच नहीं है कि जब हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अदालत के हस्तक्षेप से, वैवाहिक स्थिति में प्रभाव या व्यवधान आया है, तो उस मोड़ पर, डिक्री पारित करते समय, निस्संदेह स्थायी गुजारा भत्ता या रखरखाव देने की शक्ति है, यदि उस समय उस शक्ति का उपयोग किया जाता है। यह राहत के हकदार पक्ष द्वारा आवेदन पर बाद में लागू की जाने वाली शक्ति को भी बरकरार रखता है। और ऐसा आदेश, सभी घटनाओं में, उस अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहता है, जिसे भविष्य की स्थितियों के अनुसार बदला या संशोधित किया जा सकता है। इसके विपरीत, वैवाहिक स्थिति को प्रभावित या बाधित किए बिना, उस स्थिति को बनाए रखने वाली एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग होकर रह सकती है, और चाहे वह उस स्थिति में रह रही हो या नहीं, रखरखाव का उसका दावा हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत संहिताकरण में संरक्षित है। न्यायालय एक अधिनियम के अधीन दूसरे अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में प्राप्य भरण-पोषण की राहत प्रदान करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि स्पष्ट है, दोनों क़ानून इस तरह संहिताबद्ध हैं और अपने विषयों पर स्पष्ट हैं और व्याख्या की उदारता से अंतर-परिवर्तनशीलता की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि रखरखाव के विषय पर भेद को नष्ट किया जा सके।"*

37. अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का दावा है कि 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करना और उक्त रिपोर्ट का महत्व इसकी समग्रता में है, जबकि एक ही समय में तलाक के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना का खंडन करना क्रूरता के समान होगा और यह मामले की एक प्रासंगिक

विशेषता है और, इसलिए, ऊपर उल्लिखित परिसर में, हम 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट को एक अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मानने की अनुमति देते हैं।

38. हालांकि 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट के नियमों और शर्तों की पूर्ति को प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, बैंक स्टेटमेंट, जिसकी सामग्री को भी प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, शर्तों की ऐसी प्राप्ति के लिए सिर्फ एक प्रस्तावना है। परिणामस्वरूप हम इस अपील में बैंक स्टेटमेंट को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में चिह्नित करने की अनुमति देते हैं।

39. इसलिए, हम दिनांक 12.06.2019 की मध्यस्थता रिपोर्ट की प्रासंगिकता को खारिज करते हुए, दिनांक 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट और आईए-2 और आईए-3 के साथ-साथ आईए-4 में बैंक विवरणों को क्रमशः उनकी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता के आधार पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में माना जाता है और तदनुसार उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

40. वाद पर वापस लौटते हुए निर्धारण के लिए मुख्य मुद्दे मुद्दे संख्या III और IV हैं और जो निम्नानुसार हैं:

III. क्या प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है और उसे छोड़ दिया है?

IV. क्या याचिकाकर्ता व्यभिचारी जीवन जी रहा है और अपनी गलती का फायदा उठाना चाहता है?

41. मुद्दा संख्या III के एक भाग के रूप में परित्याग का प्रश्न मुद्दा संख्या IV से संबंधित है। यह प्रतिवादी का मामला है कि यह याचिकाकर्ता था जिसने उसे छोड़ दिया था और प्रतिवादी नहीं था, यह याचिकाकर्ता के शोमिला बनर्जी और अमुश्री झा के साथ कथित संबंध पर आधारित है। प्रतिवादी (R.W.1) और उसकी बेटी तनवी मलिक (R.W.3) के साक्ष्य याचिकाकर्ता के व्यभिचारी जीवन जीने के आरोपों से भरे हुए हैं। प्रारंभ में यह शोमिला बनर्जी थी जो याचिकाकर्ता के जीवन में आई थी और यह सब तब शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता ने रांची में एसटीजी नामक एक कंप्यूटर सेंटर खोला था जहां शोमिला

बनर्जी काम करती थीं उनके और याचिकाकर्ता के बीच अंतरंग संबंध विकसित हुए थे। प्रतिवादी के साथ-साथ उसके गवाहों ने याचिकाकर्ता द्वारा शोमिला बनर्जी पर पैसे खर्च करने के बारे में कहा है और उसने शोमिला बनर्जी के पिता के इलाज में हुए खर्च का भुगतान भी किया था। याचिकाकर्ता ने वोल्टास लिमिटेड में शोमिला बनर्जी के लिए नौकरी भी हासिल की थी। इसके बाद याचिकाकर्ता अमुश्री झा के साथ जुड़ गया और याचिकाकर्ता और अमुश्री झा की निकटता के बारे में विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं और याचिकाकर्ता के इस तरह के अनैतिक आचरण का सामना करने पर प्रतिवादी का विश्वास कैसे कम हो गया।

42. ऐसे उदाहरण पेश किए गए हैं कि कैसे याचिकाकर्ता नेस्ट अपार्टमेंट में अपना फ्लैट छोड़कर श्री राम गार्डन, कांके रोड पर शिफ्ट हो गया है, जहां उसने दो फ्लैट खरीदे थे और वह अमुश्री झा के साथ एक फ्लैट में रह रहा है। याचिकाकर्ता ने अमुश्री झा को पूजा शोपियां का निदेशक बनाया है और याचिकाकर्ता के दोनों बच्चों को जानबूझकर कोलकाता स्थित शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती कराया गया था ताकि प्रतिवादी को अमुश्री झा के साथ अपने अवैध संबंध जारी रखने के लिए स्वतंत्र हाथ देते हुए कोलकाता में रहने के लिए मजबूर किया जाए। प्रतिवादी और उसके गवाहों द्वारा लगाए गए आरोपों को याचिकाकर्ता और शोमिला बनर्जी के साथ-साथ अमुश्री झा के बीच विभिन्न तस्वीरों और चैट पर स्थापित किया गया है। हमने पार्टियों के अलग रहने के कारणों को दूर करने के लिए व्यभिचार के मुद्दे से निपटा है।

43. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 उन विभिन्न आधारों पर विचार करती है जिन पर तलाक की डिक्री पारित की जा सकती है और उक्त प्रावधान की व्याख्या परित्याग पर जोर देती है और जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता को दूसरे पक्ष द्वारा उचित कारण के बिना और सहमति के बिना या ऐसी पार्टी की इच्छा के खिलाफ विवाह के लिए छोड़ देना और इसमें विवाह के लिए दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा शामिल है।

44. (2022) SCC ऑनलाइन 187 में रिपोर्ट किए गए **"देबानंद तमुली बनाम श्रीमती काकुमोनी कटकी"** के मामले में, परित्याग को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है:

"7. हमने उसकी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। सबसे पहले, हम परित्याग के मुद्दे से निपटते हैं। अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने लछमन उत्तमचंद कृपलानी [लछमन उतमचंद कृपलानी बनाम मीणा, (1964) 4 एससीआर 331: एआईआर 1964 एससी 40] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसका इस न्यायालय के कई निर्णयों में लगातार पालन किया गया है। इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून यह है कि परित्याग का अर्थ है एक पति या पत्नी को दूसरे की सहमति के बिना और बिना उचित कारण के जानबूझकर छोड़ देना। परित्यक्त पति या पत्नी को यह साबित करना होगा कि अलगाव का एक तथ्य है और सहवास को स्थायी अंत तक लाने के लिए पति या पत्नी को छोड़ने का इरादा है। दूसरे शब्दों में, परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से दुश्मनी होनी चाहिए। परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से सहमति की अनुपस्थिति होनी चाहिए और परित्यक्त पति या पत्नी के आचरण को परित्यक्त पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए उचित कारण नहीं देना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को 1976 के अधिनियम 68 द्वारा धारा 13 की उप-धारा (1) में जोड़े गए स्पष्टीकरण में शामिल किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

*"13. तलाक--(1) * * स्पष्टीकरण--इस उपधारा में, अभिव्यक्ति "परित्याग" का अर्थ है दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता का विवाह के लिए उचित कारण के बिना और सहमति के बिना या ऐसे पक्ष की इच्छा के विरुद्ध परित्याग, और इसके अंतर्गत विवाह के लिए दूसरे पक्षकार द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा भी शामिल है, और इसकी व्याकरणिक विविधताएं और आत्मीय अभिव्यक्ति तदनुसार मानी जाएंगी।"*

45. जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता का कोई जानबूझकर परित्याग नहीं किया गया था और अलग रहना याचिकाकर्ता की संकीर्णता के साथ सक्रिय किया गया लगता है। याचिकाकर्ता ने हालांकि वैवाहिक जीवन में सामान्य स्थिति का सहारा लेने के प्रयासों के साथ अपने कैनवास को चित्रित करने की कोशिश की है, लेकिन प्रतिवादी के साक्ष्य याचिकाकर्ता के साक्ष्य से कहीं अधिक हैं, जहां तक परित्याग का

संबंध है और इसलिए, हम उस पहलू में विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

46. क्रूरता का मुद्दा सर्वोपरि है क्योंकि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क का मुख्य जोर उक्त मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमता प्रतीत होता है। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन "क्रूरता" का गठन क्या होगा, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर विचार किया गया है और ऐसे संदर्भ में, हम "विश्वनाथ बनाम सौ" के मामले का उल्लेख कर सकते हैं। सरला विश्वनाथ अग्रवाल" (2012) 7 एससीसी 288 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> *"**22**. अभिव्यक्ति "क्रूरता" का मानव आचरण या मानव व्यवहार के साथ एक अविभाज्य संबंध है। यह हमेशा सामाजिक स्तर या परिवेश पर निर्भर करता है जिससे पार्टियां संबंधित होती हैं, उनके जीवन के तरीके, संबंध, स्वभाव और भावनाएं जो उनकी सामाजिक स्थिति से वातानुकूलित हैं।*
>
> ***25**. ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने शोभा रानी मामले में आधुनिक समय में जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन और वैवाहिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में भारी बदलाव के बारे में देखा। यह देखा गया है कि: (एससीसी पृष्ठ 108, पैरा 5)*
>
> > *"**5**. ... जब कोई पति या पत्नी जीवन या संबंधों में साथी द्वारा क्रूरता के उपचार के बारे में शिकायत करता है, तो अदालत को जीवन में मानक की खोज नहीं करनी चाहिए। एक मामले में क्रूरता के रूप में कलंकित तथ्यों का एक सेट दूसरे मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। कथित क्रूरता काफी हद तक इस बात पर निर्भर हो सकती है कि पार्टियां किस प्रकार के जीवन की आदी हैं या उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति। यह उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों पर भी निर्भर हो सकता है, जिसे वे महत्व देते हैं।*
>
> ***26**. शोभा रानी मामले में उनके आधिपत्य ने शेल्डन बनाम में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया। शेल्डन जिसमें लॉर्ड डेनिंग ने कहा, "क्रूरता की श्रेणियां बंद नहीं*

हैं"। इसके बाद, बेंच ने इस प्रकार कहा: (शोभा रानी मामला, एससीसी पृष्ठ 109, पैरा 5-6)

*"**5**. ... प्रत्येक मामला अलग हो सकता है। हम मनुष्यों के आचरण से निपटते हैं जो आम तौर पर समान नहीं होते हैं। मनुष्यों के बीच उस तरह के आचरण की कोई सीमा नहीं है जो क्रूरता का गठन कर सकती है। किसी भी मामले में नए प्रकार की क्रूरता सामने आ सकती है जो मानव व्यवहार, क्षमता या शिकायत किए गए आचरण को सहन करने की अक्षमता पर निर्भर करता है। ऐसा ही क्रूरता का अद्भुत क्षेत्र है।*

***6**. इन प्रारंभिक टिप्पणियों का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि वैवाहिक मामलों में अदालत पारिवारिक जीवन में आदर्शों से संबंधित नहीं है। अदालत को केवल संबंधित पति-पत्नी को समझना है क्योंकि प्रकृति ने उन्हें बनाया है, और उनकी विशेष शिकायत पर विचार करना है। जैसा कि लॉर्ड रीड ने गोलिन्स बनाम गोलिन्स में देखा: (सभी ईआर पृष्ठ 972 जीएच)*

'... वैवाहिक मामलों में हम वस्तुनिष्ठ मानकों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, यह उचित पुरुष (या उचित महिला) के मानक से नीचे गिरने के लिए वैवाहिक अपराध नहीं है। हम इस आदमी या इस महिला के साथ काम कर रहे हैं।"

47. **(2007) 4 एससीसी 511 में रिपोर्ट किए गए "समर घोष बनाम जया घोष"** में, क्रूरता की कभी-बदलती प्रकृति को इस प्रकार देखते हुए ध्यान दिया गया है:

*"**99**. मानव मन अत्यंत जटिल है और मानव व्यवहार समान रूप से जटिल है। इसी प्रकार मानवीय सरलता की कोई सीमा नहीं है, इसलिए, पूरे मानव व्यवहार को एक परिभाषा में आत्मसात करना लगभग असंभव है। एक मामले में क्रूरता क्या है, दूसरे मामले में क्रूरता नहीं हो सकती है। क्रूरता की अवधारणा उसकी परवरिश, संवेदनशीलता के स्तर, शैक्षिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्थिति, रीति-रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक विश्वासों, मानवीय मूल्यों और उनके मूल्य प्रणाली के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है।*

100. इसके अलावा, मानसिक क्रूरता की अवधारणा स्थिर नहीं रह सकती है; समय बीतने के साथ इसमें बदलाव आना तय है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आधुनिक संस्कृति का प्रभाव और मूल्य प्रणाली आदि आदि। अब जो मानसिक क्रूरता हो सकती है, वह समय बीतने के बाद मानसिक क्रूरता नहीं रह सकती है या इसके विपरीत। वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता का निर्धारण करने के लिए कभी भी कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला या निश्चित पैरामीटर नहीं हो सकता है। मामले पर निर्णय लेने का विवेकपूर्ण और उचित तरीका यह होगा कि उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए इसके अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर इसका मूल्यांकन किया जाए।"

48. याचिकाकर्ता ने यह दावा करने के लिए कि वह मानसिक क्रूरता का शिकार रहा है, प्रतिवादी की झगड़ालू प्रकृति के बारे में कहा है, जो याचिकाकर्ता के साथ तुच्छ मुद्दों पर झगड़ा करता था, जब उसके माता-पिता के घर कोलकाता जाने और बसने के लिए उसका झुकाव याचिकाकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। प्रतिवादी याचिकाकर्ता की सलाह पर ध्यान नहीं देना चाहता था और उसकी सनक के अनुसार कार्य करेगा। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नेस्ट अपार्टमेंट में आसन्न फ्लैटों में रहने लगे जहां प्रतिवादी ने 06.05.2008 को दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। याचिकाकर्ता के माता-पिता के बारे में उदाहरण दिए गए हैं कि जब भी वे याचिकाकर्ता के घर जाते हैं तो उन्हें दुर्व्यवहार और अपमान का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने श्री राम गार्डन, कांके रोड में दो फ्लैट खरीदे थे, लेकिन उनके बार-बार प्रयासों के बावजूद प्रतिवादी सीमित अवसरों को छोड़कर नहीं आए। याचिकाकर्ता के साथ नहीं रहने में प्रतिवादी का कृत्य क्रूरता का कार्य था। हालांकि, प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में इन दावों के साथ-साथ उसके गवाहों के साक्ष्य में मुख्य रूप से याचिकाकर्ता के स्वच्छंद जीवन का सहारा लेने से इनकार किया गया है।

49. हमारे द्वारा अनुमति दिए जाने के कारण 2019 की आईए संख्या 9370 की अतिरिक्त विशेषता 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट है, जो एक व्यापक परिदृश्य पर प्रतिवादी के इरादे को प्रकट करेगी क्योंकि एकमुश्त निपटान और स्थायी गुजारा भत्ता की स्वीकृति के लिए सहमत होने के बाद भी वह मुकदमेबाजी को लम्बा खींचती रहती है और इस

तरह के निपटान से बेखबर अपील का विरोध कर रही है। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, 2019 के आईए संख्या 9370 की अनुमति देते हुए, स्थायी गुजारा भत्ता की स्वीकृति का मतलब याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक संबंधों के अंत का मतलब होगा और इसका संकेत होगा, जब 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट को व्यापक क्षेत्र में मुख्य रूप से पार्टियों के इरादे के संबंध में माना जाता है और केवल इसलिए कि इस तरह के विशिष्ट नियम और शर्तें नहीं डाली गई थीं, इससे 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट अप्रभावी नहीं होगी विवाह के विघटन के सीमित उद्देश्य के लिए।

50. (2019) 14 SCC 1 में रिपोर्ट किए गए "**हम्माद अहमद बनाम अब्दुल मजीद और अन्य**" के मामले में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> *"**46**. दस्तावेज़ की व्याख्या का प्रसिद्ध सिद्धांत यह है कि एक पंक्ति को संदर्भ से बाहर नहीं लिया जा सकता है। यह पूरे दस्तावेज का संचयी पठन है जो एक निष्कर्ष या दूसरे निष्कर्ष पर ले जाएगा। दस्तावेजों की व्याख्या के सिद्धांत के रूप में निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कुछ निर्णयों को इसके बाद चित्रित किया गया है। दस्तावेजों की व्याख्या से संबंधित निर्णयों में से एक डीडीए बनाम दुर्गा चंद कौशिश है। यह माना गया कि दस्तावेज़ या इसके किसी विशेष भाग का अर्थ दस्तावेज़ में ही खोजा जाना है। न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया: (एससीसी पीपी 832-33, पैरा 19-21)*
>
> > *"**19**. दोनों पक्षों ने ओडगर्स के कर्मों और विधियों के निर्माण में कुछ अंशों पर भरोसा किया है (5 वां संस्करण 1967)। वहाँ (पृष्ठ 28-29 पर), व्याख्या का पहला सामान्य नियम तैयार किया गया है: 'दस्तावेज़ का अर्थ या इसके किसी विशेष भाग का इसलिए दस्तावेज़ में ही खोजा जाना है'। निस्संदेह, निर्माण का प्राथमिक नियम जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 से 94 वैधानिक मान्यता और प्रभाव प्रदान करती है, अधिनियम की धारा 95 से 98 में निहित कुछ अपवादों के साथ। बेशक, "दस्तावेज़" का अर्थ है "दस्तावेज़" एक पूरे के रूप में पढ़ा जाता है और टुकड़ों में नहीं।*

20. ऊपर वर्णित नियम निर्माण के शाब्दिक नियम से तार्किक रूप से अनुसरण करता है, जब तक कि इसके आवेदन से बेतुका परिणाम नहीं मिलता है, पहले इसका सहारा लिया जाना चाहिए। यह ऊपर निर्धारित व्याख्या के पहले नियम के तहत ओडगर्स की छोटी पुस्तक में उद्धृत निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट है:

लॉर्ड वेन्सलेडेल, में मोनीपेनी वी। मोनीपेनी ने कहा:

'सवाल यह नहीं है कि किसी विलेख के पक्षकार उस विलेख में प्रवेश करके क्या करने का इरादा कर सकते हैं, लेकिन उस विलेख में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ क्या है: निर्माण के सभी मामलों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर और जिसकी अवहेलना अक्सर गलत निष्कर्ष की ओर ले जाती है। ब्रेट, एलजे, मेरेडिथ, इन री, एक्स पी चिक ने देखा:

'मैं निर्माण के नियम का पालन करने के लिए निपटाया गया हूं जो लॉर्ड डेनमैन और बैरन पार्के द्वारा निर्धारित किया गया था ... उन्होंने कहा कि लिखतों का निर्माण करते समय आपको पक्षकारों की अनुमानित मंशा का नहीं, बल्कि उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ का ध्यान रखना चाहिए।

21. एक और नियम जो हमें यहां लागू प्रतीत होता है, इस न्यायालय द्वारा राधा सुंदर दत्ता बनाम मोहम्मद अली खान बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में कहा गया था। बहादुर रहीम : (एआईआर पृ. 29, पैरा 11)

'11. अब, यह व्याख्या का एक स्थापित नियम है कि यदि किसी दस्तावेज़ के स्वीकार्य दो निर्माण हैं, जिनमें से एक उसमें सभी खंडों को प्रभावी करेगा, जबकि दूसरा उनमें से एक या अधिक को निरर्थक बना देगा, तो यह पूर्व है जिसे अधिकतम "ut res magis valeat quam pereat" में व्यक्त सिद्धांत पर अपनाया जाना चाहिए।

51. यह 27.03.2018 की मध्यस्थता रिपोर्ट से प्रकट होता है कि हालांकि "तलाक" शब्द स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन समझौते की भाषा के निर्माण से पार्टियों का इरादा स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष निकालता है कि दोनों ने अपनी शादी पर पर्दे

खींचकर अपने अलग-अलग तरीकों से जाने का फैसला किया था। प्रतिवादी के अलावा, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की बेटियों का भी ध्यान रखा गया है और उन्हें सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया गया है। पार्टियों के बीच समझौता याचिकाकर्ता की ओर से एक वैध अपेक्षा को आत्मसात करता है जिसे प्रतिवादी द्वारा पति की अपील को चुनौती देकर और मुकदमेबाजी को लंबा खींचकर खत्म करने की मांग की गई है। "क्रूरता" की अवधारणा एक निरंतर विस्तार करने वाली विशेषता है और जैसा कि "समर घोष बनाम जया घोष" (सुप्रा) के मामले में आयोजित किया गया है, "क्रूरता की अवधारणा उसकी परवरिश, संवेदनशीलता के स्तर, शैक्षिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्थिति, रीति-रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक विश्वासों, मानवीय मूल्यों और उनके मूल्य प्रणाली के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है" और वर्तमान मामला एक ज्वलंत उदाहरण है जो इस विश्वास को पुष्ट करता है कि "क्रूरता" को इसमें नहीं रखा जा सकता है इस मामले से जुड़ी विशिष्टताओं पर विचार करते हुए एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला।

52. यद्यपि हम विद्वान प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, रांची के निष्कर्षों से सहमत हैं, जहां तक "क्रूरता" के मुद्दे का संबंध है, लेकिन रिकॉर्ड पर लिए गए अतिरिक्त साक्ष्य याचिकाकर्ता के दावे को पूरी तरह से नया आयाम देते हैं और इस तरह के विवाह को लंबा खींचना मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों और परिस्थितियों में न्याय का उपहास होगा। इसलिए, हम मानते हैं कि एक बार के निपटान और स्थायी गुजारा भत्ता की स्वीकृति के बावजूद मुकदमेबाजी को लंबा खींचने में प्रतिवादी का कार्य और याचिकाकर्ता द्वारा नियमों और शर्तों को पूरा किया जाना "क्रूरता" होगी और एक परिणाम के रूप में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (आई-ए) याचिकाकर्ता द्वारा साबित कर दी गई है और इसलिए, वह तलाक की डिक्री का हकदार है।

53. हम यहां ऊपर की गई चर्चाओं के आधार पर इस अपील की अनुमति देते हैं और श्री चंद्र प्रकाश अस्थाना, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, रांची द्वारा 2014 के मूल सूट (एमटीएस) संख्या 522 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 12.06.2017 को रद्द करते हैं और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह को भंग करते हैं।

54. यदि कोई लंबित अन्तरवर्ती आवेदन है, तो वह भी बंद समझा जाए।

(रोंगून मुखोपाध्याय, जे)

(दीपक रोशन, जे)

रांची में झारखंड उच्च न्यायालय
दिनांकित, मार्च, 2024 का 5वां दिन।
आलोक/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री मधु कुमारी
पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।